FACTUAL COMPLIANCE AFFIDAVIT

SUBMITTED

TO

THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL (NGT)
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

W.R.T

TO THE RECOMMENDATIONS OF THE JOINT COMMITTEE REPORT DATED 14.07.2022

IN RE:

NEWS ITEM PUBLISHED IN THE HINDU DATED 27.03.2022 TITLED "DIGGING UP THE CHAMBAL"

ORIGINAL APPLICATION NO. 248 OF 2022

ON BEHALF OF

(DEPARTMENT OF MINES AND GEOLOGY, RAJASTHAN)

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 248/2022

In Re: News Item Published in The Hindu dated 27.03.2022 titled "Digging up the Chambal"

S.NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Compliance Affidavit on behalf of Department of Mines and Geology, Rajasthan along with the Affidavit	1- 14
2.	**Annexure R/1:** True copy of the minutes of the meeting of Department of Mines dated 11.10.2022.	15-18
3.	**Annexure R/2:** True translated copy of the Field Inspection "Scene" Report along with True copy dated 13.01.2023.	19-22
4.	**Annexure R/3:** True copy of the circular issued by Mines Department dated 05.07.2021.	23-24
5.	**Annexure R/4:** True translated copy of the minutes of the meeting of Department of Mines along with True copy dated 13.01.2023.	25-44
6.	**Annexure R/5:** True copy of the letter of Department of Mines dated 10.05.2018.	45
7.	**Annexure R/6:** True copy of the letter to the Chief Secretary Home Department dated 15.01.2023.	46-47

8.	**Annexure R/7(Colly):** True copy of the letters dated 17.01.2023 and 20.01.2023 to the Forest and home Department. (Colly)	48-51
9.	**Annexure R/8:** True copy of the circular issued by the Mines Department dated 09.02.2012.	52
10.	**Annexure R/9:** True copy of the report issued by the Office of Program Coordinator (MGNREGA) dated 10.01.2023.	53
11.	**Annexure R/10:** True copy of the letter issued by the Office of Dist. Collector dated 15.01.2023.	54-55
12.	**Annexure R/11:** True copy of the report issued by the office of Distt. Collector dated 18.01.2023.	56-57
13.	**Annexure R/12:** True copy of the Letter issued by the Office of Distt. Collector to Transport Officer dated 20.12.2022.	58
14.	**Annexure R/13:** True copy of the letter from the Office of Dist. Collector to the sales officer dated 13.01.2023.	59-61
15.	**Annexure R/14:** True copy of the office order issued by Superintendent Mining Engineer to Dy. Conservator of Forest dated 20.01.2023.	62-63
16.	**Annexure R/15:** True copy of the office order issued by Superintendent Mining Engineer dated 13.01.2023.	64-65

17.	**Annexure R/16:** True copy of the office order issued by Superintendent Mining Engineer dated 17.01.2023.	66

DEPARTMENT OF MINES AND GEOLOGY, RAJASTHAN

THROUGH

PRACHI MISHRA
Advocate
8, Todarmal Lane
Bengali Market
New Delhi-
110001
Ph. 9818488187

Place: New Delhi

Date: 06.02.2023

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 248/2022

In Re: News Item Published in The Hindu dated 27.03.2022 titled "Digging up the Chambal"

FACTUAL COMPLIANCE AFFIDAVIT ON BEHALF OF DEPARTMENT OF MINES AND GEOLOGY, RAJASTHAN W.R.T. TO THE RECOMMENDATIONS OF THE JOINT COMMITTEE REPORT DATED 14.07.2022

BACKGROUND

1. The present matter arises out of *suo moto* cognizance taken by this Hon'ble Tribunal on the basis of captioned media in the daily newspaper 'The Hindu' on 27.03.2022 report mentioning about illegal mining activities taking place in periphery of Keoladeo National Park in Dholpur, Rajasthan. The said identified area is supposedly close to National Chambal Sanctuary which is habitat of rare species of animals particularly Gharial, roofed turtles and also river dolphins. The report further referred to illegal and unscientific mining resulting in pollution in the area, adversely affecting the flora and fauna of the area, thus not environmentally sustainable. It was mentioned in the report that blanket clearances of mining projects in violation of Sustainable Sand Mining Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 is leading to adverse impact on the environment.

2. It is respectfully submitted that it was observed by this Hon'ble Tribunal that mining activities can only be permitted only after obtaining requisite Environment Clearance in terms of direction of the Hon'ble Supreme Court in **Deepak Kumar vs State of Haryana & Ors. (2012) 4 SCC 629** for which District Survey Report and Replenishment study have to be prepared and appraisal conducted.

3. This Hon'ble Tribunal was pleased vide order dated 05.04.2022 to constitute Eight Member Joint Committee comprising DGF&SS, Wildlife, MoEF&CC; Director, National Chambal Sanctuary: Secretaries Mining, Rajasthan, UP and M.P. and UP, MP and Rajasthan State PCBs. The Committee was directed to prepare an appropriate action plan for remedial action to be taken for protecting aquatic habitats, demarcating and notifying areas for sand mining operations in conformity with 'ESMG 2016' and 'SSMG 2020', replenishment potential without conflicting the national parks/ sanctuaries or any ecological habitat area, whether notified or not.

4. In pursuance to the direction given by this Hon'ble Tribunal, a meeting to inspect the National Chambal Sanctuary was held on 17.05.2022 whereby Additional Director Mines, Kota Zone, Kota and Superintending Mines Engineering, Bharatpur Circle, Bharatpur were present on behalf of Mines and Geology Department. According to said inspection report, constant illegal mining of sand was found to be carried out by

using JCB and Loader on the right bank of Chambal river at the Rajghat situated in village Bhanpur, Tehsil and District Morena adversely affecting the environment.

5. The Joint Committee, after completion of inspection, has submitted its report on 14.07.2022 before this Hon'ble Tribunal recording observations and giving requisite recommendations. The relevant extract of the recommendations of the Joint Committee report is reproduced hereinbelow: -

1. *An independent dedicated special task force either State Police or Central force may be deployed at illegal sand mining sites in NCS area for taking stern action against defaulters at least two full sand seasons.*
2. *An interstate task force may be constituted with members of stack holder departments for proper co-ordination and joint action.*
3. *Adequate number of check post equipped with CCTV surveillance camera connected with server accessible to all concern shall be provided for effective monitoring.*
4. *Creating alternative livelihood opportunity for locals who are totally dependent on illegal mining.*
5. *Equipping forest force with latest weapons and increasing their numbers along with boat patrolling and drone survey facilities.*
6. *Creating alternative of sand available in this area like sand crush etc. since there is no alternate of NCS where alternate sand may be there.*
7. *Opening source area for legal mining. It is under pipeline. NCS Morena have proposed 292 hectare of area for de-notification, so that local requirement can be fulfilled. This proposal is with NBWI for approval.*
8. *In case of Law and Order situation if any enquiry is instituted against any forest officer, then power of magisterial enquiry should be given to the forest department.*

9. Considering it a big problem, every stack holder department should come together and do their bot.
10. RTO shall be directed to seize transport vehicles used in illegal transportation of river sand from NCS area and to cancel registration of illegal miners vehicle who are without number plates.
11. Petrol pump not to give diesel/petrol to vehicles involved in this.
12. Illegal properties of illegal miners to be seized.
13. Police to come heavily on illegal miners.
14. Revenue department to register case against those whose land is used for illegal sand dumping.
15. A strong political will required to stop the activities of sand mafia.
16. A mass publicity of action taken by forces on illegal mining should be regularly carried out through local newspaper, FM Radio etc.
17. Local public participation also needs to be encouraged for their contribution to control the illegal mining. Awareness campaign among the public about the side effects of illegal mining through MLAs, MPs and public representatives may be started by forest department or other concerned authorities.
18. A continuous media campaign shall be started for creating awareness in public about environment and wild life related to Chambal River and side effects of illegal mining on it.

6. This Hon'ble Tribunal by order dated 21.9.2022 upon considering the complete material on record gave directions to the Additional Chief Secretaries, Mining and Environment, Departments of Uttar Pradesh, Rajasthan and Madhya Pradesh to take action in such regard.

7. In compliance to the above referred order, a meeting was scheduled on **11.10.2022** by the Office of Mining Engineer Dholpur with the presence of District Collector Dholpur to

ensure prompt action is taken with regards to the recommendations of the Joint Committee report. Minutes of the meeting dated 11.10.2022 are annexed herewith and marked as **Annexure- R/1.**

8. It is pertinent to highlight that the Joint Committee report dated **14.07.2022** at Page 14, Observations point 4, disclosed that no mining activities were being conducted within the State of Rajasthan in the above referred area. The same can be corroborated by the Field Inspection "Scene" Report dated **13.01.2023** which observed no grave mining activities of any kind was taking place in the Chambal on the Rajasthan Side of the Morena-Dholpur Bridge. The true translated copy along with the true copy of Field Inspection "Scene" Report annexed herewith and marked as **Annexure- R/2.**

9. It is also pertinent to note that vide circular dated **05.07.2021** issued by the Department of Mines and Geology, Rajasthan it was intimated to the Forest Department to take cognizance of any illegal mining activities taking place in the forest area as the Forest Department is the competent department to look into such issue in the said area. The circular dated 05.07.2021 is annexed herewith and marked as **Annexure-R/3.**

COMPLIANCE

10. In Compliance of Suggestion No. 1 of the Report dated 14.07.2022, formation of an independent special task force was directed. Such a task force was to be deployed at the site-in-question to take stern action against defaulters. It is

reiterated that the Department of Mines and Geology, Rajasthan and no jurisdictional purview or role to be played for taking any action in this regard. A letter has been issued to the Chief Secretary, Home Department as well as Forest Department as enumerated in the minutes of the meeting dated **13.01.2023**. True translated copy of the minutes of the meeting dated 13.01.2023 along with true copy are annexed herewith and marked as **Annexure- R/4.**

Pursuant to prior action, Department of Mines and Geology vide letter dated **10.05.2018** under the Chairmanship of District Collector, Dholpur had constituted a special investigation team for preventing illegal mining, transportation, and stocking of grit. Letter dated 10.05.2018 is annexed herewith and marked as **Annexure- R/5.**

Further, Rajasthan police patrolling is continuously taking place on the Morena-Dholpur Bridge which can be established from the Field Inspection “Site Report” dated **13.01.2023**.

The District Collector vide circular dated **15.01.2023** constituted a special task force constituting members from the Police Department, National Crocodile Sanctuary Department, Forest Department, Mines Department and the Transport Department, which has been annexed herewith and marked as **Annexure- R/6.**

The District Collector Dholpur vide circular dated **15.01.2023** had also directed deployment of a special independent task

force from the state police to conduct patrolling. The District Collector vide circular dated **17.01.2023** and **20.01.2023** directed the Additional Chief Secretary, Mines and Deputy Secretary to the Government for regular monitoring in the form of follow ups and subsequently forward the report to the District Collector to oversee progress made in this regard. The letter dated 17.01.2023 and 20.01.2023 annexed herewith and marked as **Annexure R/7 (Colly).**

11. In compliance with Suggestion No. 2, the Department of Mines and Geology vide circular dated 09.02.2012 and circular dated 05.06.2021 have taken prior cognizance of the illegal mining and formulated an interdepartmental task force. A true copy of the Circular dated 09.02.2012 annexed herewith and marked as **Annexure- R/8.**

Further, the District Collector also by circular dated **15.01.2023** directed the Chief Secretary of Home Department to constitute an interstate task force.

12. In compliance with the Suggestion No. 3 which suggested CCTV camera installation for monitoring of illegal mining activities accessible to concerned parties, the Deputy Conservator of Forests (Wildlife) Sawai Madhopur, has been notified for installation of CCTV surveillance cameras with check posts inside the forest area, and moreover, Information and Technology Department is directed to set up of CCTV camera outside forest area.

13. In compliance with Suggestion No. 4, appropriate actions have been initiated to offer alternative employment to locals under the MGNREGA scheme and the Rajasthan Chief Minister's Laghu Udyog Protsahan Yojna.

Furthermore, employment camps are being established in the villages inhabiting the locals, to link them with employment. A true copy of the sanctioned work report dated **10.01.2023** is annexed herewith and marked as **Annexure- R/9**.

14. In compliance with Suggestion No. 5, the Principal Chief Secretary in the meeting dated **13.01.2023** has requested the Deputy Conservator of Forests (wildlife) for 20 home guards with weapons and 2 vehicles to be provided immediately .

15. In view of compliance of Suggestion No. 6, alternative sand availability has been evaluated.

16. In compliance with Suggestion No. 7, the approval of two plots have been granted for which necessary legal mining activities will commence after due compliance.

17. To comply of Suggestion No. 8, the need and necessity of proper monitoring of the law and order have been reiterated and steps towards strengthening the institutional structure of forest police department and other agencies has been carried out.

18. In compliance with Suggestion No. 9, the District Collector vide letter dated **15.01.2023** directed the formations of a special task force constituting members from various departments namely - the Police Department, National Crocodile Sanctuary Department, Forest Department, Mines Department and the Transport Department, which has been annexed herewith and marked as **Annexure- R/10.**

19. In compliance with the Suggestion No. 10, the District Superintendent of Police, Dholpur is taking necessary action and canceled the registration of vehicles when involvement in illegal sand mining is found. Moreover, requisite fine is also being imposed upon seizing vehicles without number plates. Report of District Collector dated **18.01.2023** annexed herewith and marked as **Annexure- R/11**.

Further, the Office of District Transport and Road Safety Officer, Dholpur vide letter dated **20.12.2022** have noted the efforts by sub-inspectors in conducting awareness campaigns in compliance with Suggestion No. 10 against the vehicles without number plates and without registration numbers. Letter dated 20.12.2022 annexed herewith and marked as **Annexure- R/12.**

20. To address the Suggestion No. 11, Indian Oil Corporation Ltd. (IOCL), Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), Reliance, Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) have been specifically instructed to not give diesel petrol to vehicles without registration number and CCTV cameras have also been installed at all the above-stated Petrol Pumps to monitor

such vehicles. The letter from the District Collector dated **13.01.2023** is annexed herewith and marked as **Annexure-R/13.**

21. To address the Suggestion No. 12, special actions have been taken for seizing the properties of those who are involved in illegal mining activities and directions were given to District Superintendent of Police, Deputy Conservator of Forest Dholpur, Deputy Conservator of Forest (Wildlife) to provide the Revenue Department with the list of the persons involved in illegal mining which can be corroborated by letter to the Deputy Conservator of Forest dated 20.01.2023. Letter to Deputy Conservator of Forest dated **20.01.2023** annexed herewith and marked as **Annexure R/14.**

22. In compliance of Suggestion No. 13, proper plan of action have been brought in place and the police department is taking appropriate necessary actions. Moreover, the DSP, Dholpur has informed about 100 FIRs having been registered against 200 which can be established by minutes of the meeting dated 13.01.2023 itself.

23. To address the Suggestion No. 14 specifically directing Revenue Department to register case against persons whose land is being used for illegal sand dumping, appropriate actions have been initiated by the Sub-Divisional Officer/ Tehsildar to make a list of illegal use of property and forwarded to Superintendent of Police to take action as mentioned in office order dated 20.01.2023.

24. To address the Suggestion No. 15 and 16, appropriate actions are being taken by the government at all levels.

25. To address the Suggestion No. 17 specifically directing initiation of an awareness campaign, vide order dated **13.01.2023** concerned departments were directed to ensure participation of regional MLAs, MPs and public representatives in the campaigns about the side effects of illegal mining in the district. The same can be corroborated by order dated 13.01.2023 and order dated **17.01.2023** which have been annexed herewith and marked as **Annexure- R/15** and **Annexure- R/16** respectively.

The news cuttings of the awareness campaign along with other actions taken by the District Collector in coordination with Department of Mines and Geology, conducted have also been annexed herewith and marked as **Annexure- R/17**.

26. Last but not the least, in compliance of Suggestion No. 18, continuous campaigning for creating awareness pertaining to environment and wildlife related to Chambal river is being carried out. and consequences thereto, it was informed by Dy. Conservator of Forest that Wildlife Protection Week was celebrated till October 2022. In such awareness drive, complete information is being circulated regarding harmful effects of illegal mining in Chambal river and its side effects. Moreover, the necessity of balance in the environment and

safeguarding wildlife has been made and is being regularly carried.

27. All necessary and effective compliance has been carried out and the undersign further undertakes to continue to follow the suggestions/ guidelines for protection of the environment.

DEPARTMENT OF MINES

AND GEOLOGY, RAJASTHAN

THROUGH

PRACHI MISHRA
Advocate
8, Todarmal Lane
Bengali Market
New Delhi-110001
Ph. 9818488187
E-mail-
mishraprachiadv@gmail.com

Place: New Delhi

Date: 06.02.2023

BEFORE THE HON'BLE GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 248/2022

In re: News item published in The Hindu dated 27.03.2022 titled **"Digging up the Chambal"**

AFFIDAVIT

I, Mahaveer Prasad Meena, S/o Late Bhagu Ram, aged about 57 years, Additional Director (Mines) Office, Department of Mines and Geology, Kota, Rajasthan, 324005 at present working as Additional Director (Mines), Kota, Rajasthan, solemnly swear and affirm on oath as under: -

1) That I am the Officer-in-Charge for the Department of Mines and Geology, Rajasthan in the above captioned matter thus competent to swear the instant affidavit as I am sufficiently conversant with the facts and circumstances of the present case.

2) I state that I have read and understood the contents of the accompanying Compliance Affidavit which have been drafted by my counsel under my instructions, and the same have been explained to me. I say that the contents of the same are true and correct to the best of my knowledge and belief.

3) That the submissions made therein are believed to be true and that nothing material has been concealed therefrom.

Additional Director (Mines)
Department of Mines And Geology Rajasthan
Kota-Zone, Kota

ATTESTED

OATH COMMISSIONER
RAJASTHAN HIGH COURT
JAIPUR BENCH, JAIPUR

OATH COMMISSIONER
GAUTAM RAJ JAIN
ADVOCATE
RAJ. HIGH COURT, JAIPUR

4) I say that the Annexures R/1 ______ to R/16 _____ annexed in the instant Compliance Affidavit are true and correct copies, true typed copies or true translated copies of their respective originals.

DEPONENT

Additional Director (Mines)
Department of Mines And Geology Rajasthan
Kota-Zone, Kota

VERIFICATION: -

I, the Deponent above named do hereby solemnly affirm that the contents of paragraphs no. 1 to 4 of the foregoing Affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Verified at Jaipur ______ on this _____ day of 13 1 JAN 2023 ______________ 2023.

DEPONENT

Additional Director (Mines)
Department of Mines And Geology Rajasthan
Kota-Zone, Kota

OATH COMMISSIONER
GAUTAM RAJ JAIN
ADVOCATE
RAJ. HIGH COURT, JAIPUR

ATTESTED

OATH COMMISSIONER
RAJASTHAN HIGH COURT
JAIPUR BENCH, JAIPUR

13 1 JAN 2023

कार्यालय खनि अभियन्ता धौलपुर (राजस्थान)

क्रमांक:एनजीटी/248/2022/खनि/2022/233

दिनांक:- 19/10/2022

बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 11.10.2022 को प्रातः 11 बजे श्रीमान जिला कलक्टर महोदय धौलपुर की अध्यक्षता में मा0 न्यायालय एनजीटी नई दिल्ली द्वारा प्रकरण संख्या ओ.ए.248/2022 में दिनांक 21.9.2022 को दिये गये आदेश की पालना सुनिश्चित कराने हेतु बैठक जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर के सभागार में आयोजित की गई। बैठक में निम्नानुसार अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

क.सं.	नाम अधिकारी	पद नाम	विभाग का नाम
1	श्री धर्मेन्द्र सिंह	जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर	पुलिस विभाग
2	श्री किशोर गुप्ता	उप वन संरक्षक धौलपुर	वन विभाग
3	श्री अनिल यादव	उप वन संरक्षक (वन्यजीव) सवाईमाधोपुर	राष्ट्रीय चम्बल घडियाल अभयारण्य
4	श्री चेतन चौहान	मुख्य कार्यकारी अधिकारी,	जिला परिषद, धौलपुर
5	श्री हरिकृष्ण अग्रवाल	अधीक्षण अभियन्ता,	जल संसाधन विभाग
6	श्री विजय कुमार मीणा	जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर	परिवहन विभाग
7	श्री मुकेश चन्द्र मंगल	खनि अभियन्ता धौलपुर	खान विभाग
8	श्री गजेन्द्र शर्मा	जिला रसद अधिकारी धौलपुर	रसद विभाग
9	श्री राजकुमार मीणा	जन सम्पर्क अधिकारी धौलपुर	जन सम्पर्क विभाग

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित अधिकारीगण को बैठक में उपस्थित होने हेतु धन्यवाद ज्ञापित करते हुये अवगत कराया कि हिन्दु समाचार पत्र दिनांक 27.3.2022 में प्रकाशित शीर्षक **"Digging up the Chambal"** के आधार पर मा0 न्यायालय एनजीटी नई दिल्ली में प्रकरण कमांक:ओ. ए. 248/2022 दर्ज हुआ है। हिन्दु समाचार पत्र दिनांक 27.3.2022 में प्रकाशित समाचार **"Digging up the Chambal"** पर वस्तुस्थिति रिपोर्ट एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्लान तैयार कर प्रस्तुत करने बावत माननीय न्यायालय एन जी टी नई दिल्ली द्वारा O. A. No. 248/2022 में दिनांक 05.04.2022 को आदेश जारी कर कमेटी का गठन किया गया। गठित कमेटी द्वारा मा0 न्यायालय एनजीटी नई दिल्ली के निर्देशानुसार चम्बल नदी का दिनांक 17.05.2022 को निरीक्षण किया जाकर संयुक्त कमेटी निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 14.07.2022 को मा0 न्यायालय एनजीटी नई दिल्ली में प्रस्तुत की गई। मा0 न्यायालय एनजीटी नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21.09.2022 को आदेश जारी कर संयुक्त कमेटी निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 17.5.2022 में वर्णित सिफारिशों की पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संयुक्त कमेटी निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 14.07.2022 में वर्णित सिफारिशो व मा0 न्यायालय एनजीटी नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21.09.2022 को आदेश जारी कर दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में बैठक में अधिकारियो से चर्चा/विचार-विमर्श किया गया तथा निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

कसं.	एन0जी0टी0 द्वारा की गई अनुशंषा	बैठक में लिये गये निर्णय/दिये गये निर्देश
1	An independent dedicated special task force either State Police or Central force may be deployed at illegal sand mining sites in NCS area for taking stem action against defaulters at least two full sand seasons.	एनजीटी द्वारा की गई अनुशंषा के अनुसार विशेष टास्क फोर्स का गठन राज्य स्तरीय पुलिस अथवा केन्द्रीय फोर्स तैनात की जाकर किया जाना है। उक्त कार्यवाही राज्य स्तर से की जानी है।
2	An interstate task force may be constituted with members of stack holder departments for proper co-ordination and joint action.	अन्तर राज्यीय टास्क फोर्स का गठन स्टेक हॉल्डर विभागों के समन्वय से किया जाना है। उक्त कार्यवाही राज्य स्तर से की जानी है।

3	Adequate number of check post equipped with CCTV Surveillance camera connected with server accessible to all concern shall be provided for effective monitoring.	प्रभारी मॉनीटरिंग हेतु सर्विलाईन्स चैक पोस्ट मय सीसीटीवी कैमरा व इन्टरनेट कनेक्टिविटी के स्थापित किया जाना है। इसके लिए पर्याप्त बजट एवं कार्मिक (स्टॉफ) की आवश्यकता होगी। इस हेतु पर्याप्त बजट व स्वीकृति राज्य स्तर से अपेक्षित है।
4	Creating alternative livelihood opportunity for locals who are totally dependent on illegal mining.	अवैध खनन में संलिप्त/निर्भर स्थानीय लोगो के लिये वैकल्पिक रोजगार के तहत् मनरेगा अन्तर्गत कार्य दिया जा सकता है अथवा मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना से जोड़ा जा सकता है।
5	Equipping forest force with latest weapons and increasing their numbers along with boat patrolling and drone survey facilities.	वन फोर्स को हथियार के साथ तैनात किया जा कर नदी में नाव (बोट) के साथ तथा ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जानी है। इसके लिए वन फोर्स को हथियार व आवश्यक संसाधनो की आवश्यकता होगी। इस हेतु पर्याप्त बजट व स्वीकृति राज्य स्तर से अपेक्षित है।
6	Creating alternative of sand available in this area like sand crush etc. since there is no alternate of NCS where alternate sand may be there.	जिले में रेत के वैकल्पिक स्त्रोत के रूप में एम–सेण्ड उपलब्ध नही है। जिले के निकटतम जिले भरतपुर एवं करौली (राज0) से एम–सेण्ड उपलब्ध है जहॉ से मांग पूर्ति की जा रही है।
7	Opening source area for legal mining. It is under pipeline NCS Morena have proposed 292 hectare of area for de-notification. so that local requirement can be fulfilled. This proposal is with NBWI for approval.	वैध खनन के लिये नवीन स्त्रोत के रूप में धौलपुर जिले में ग्राम कठूमरा, भूडा, शंकरपुरा में 148.90 हैक्टयर भूमि मे डावर्जन हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये गये थे जिसे राज्य वन्य जीव मण्डल की स्थाई समिति की बैठक दि. 17.05.2013 मे अस्वीकृत कर दिया गया था।
8	In case of Law and Order situation if any enquiry is instituted against any forest officer, then power of magisterial enquiry should be given to the forest department.	कानून व्यवस्था हेतु वन विभाग एवं पुलिस विभाग को संस्थागत रूप से न्यायिक शक्तियां प्रदान किया जाना उचित है। उक्त कार्यवाही राज्य स्तर से किया जाना अपेक्षित है।
9	Considering it a big problem, every stackeholder department should come together and do their bot.	बैठक में सभी संबंधित विभाग (स्टेक हॉल्डर) को संयुक्त रूप से व आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था के साथ संयुक्त कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये।
10	RTO shall be directed to seize transport vehicles used in illegal transportation of river sand from NCS area and to cancel registration of illegal miners vehicle who are without number plates.	जिले में अवैध रेता निर्गमन में लिप्त वाहनों एवं बिना नम्बर प्लेट के वाहनों को जप्त कर/पकड़ने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर को तथा उनके पंजीयन को निरस्त किये जाने की कार्यवाही किये जाने हेतु जिला परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया गया।
11	Petrol pump not to give diesel/petrol to vehicles involved in this.	जिले में अवैध रेता निर्गमन में संलिप्त वाहनों को पेट्रोल/डीजल नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में विधिक प्रावधान व प्रचलित दिशा निर्देशों के अनुसार ही कार्यवाही की जा सकती है।
12	Illegal properties of illegal miners to be seized.	जिले में अवैध रेता खनन में संलिप्त व्यक्तियों को चिन्हित कर सूची राजस्व विभाग को उपलब्ध कराने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर, उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी धौलपुर, उप वन संरक्षक वन्यजीव सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया गया।

13	Police to come heavily on illegal miners.	जिले में पुलिस एवं अन्य स्टेक होल्डर्स विभागो द्वारा अवैध रेता खननकर्ताओं के विरूद्ध सख्ती से कार्यवाही की जा रही है।
14	Revenue department to register case against those whose land is used for illegal sand dumping.	अध्यक्ष महोदय ने अवैध रेता भण्डारण किये जाने हेतु उपयोग में ली जाने वाली भूमि के मालिक के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित उपखण्डाधिकारी/तहसीलदार को तथा उक्त भूमियो व भूमि मालिकों की सूची तैयार कर राजस्व विभाग के सम्बन्धित उपखण्डाधिकारी/तहसीलदार को उपलब्ध कराने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर, उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी धौलपुर, उप वन संरक्षक वन्यजीव सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया गया।
15	A strong political will required to stop the activities of sand mafia.	जिला प्रशासन स्तर से इस सम्बन्ध में कार्यवाही अपेक्षित नही है।
16	A mass publicity of action taken by forces on illegal mining should be regularly carried out through local news paper, FM Radio etc.	जिले में अवैध रेता खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरूद्ध की गयी कार्यवाही का प्रिन्ट/इलेक्ट्रोनिक आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाता है। इस हेतु जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी व सम्बन्धित विभागो को निर्देशित किया।
17	Local public participation also needs to be encouraged for their contribution to control the illegal mining. Awareness campaign among the public about the side effects of illegal mining through MLAs, MPs and public representatives may be started by forest department or other concerned authorities.	जिल में अवैध खनन के दुष्प्रभावों के बारे में स्थानीय लोगों में जागरूकता लाने हेतु चलाये जा रहे अभियानों में क्षेत्रीय विधायक, सांसद एवं जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु संबंधित विभागों निर्देशित किया गया।
18	A continuous media campaign shall be started for creating awareness in public about environment and wild life related to Chambal River and side effects of illegal mining on it.	उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी धौलपुर ने अवगत कराया कि जिले में पर्यावरण और वन्य जीव के संबंध मे चम्बल नदी एवं अवैध खनन के दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता लाने हेतु अभी हाल ही में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2022 तक वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह मनाया गया जिसमे वन्य जीवों की सुरक्षा में उपयोगिता के संबंध में लोगों को जागरूक किया गया। अध्यक्ष महोदय ने भविष्य में भी ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों/अभियानों को आयोजित किये जाने के निर्देश दिये।

बैठक में खनि अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि चम्बल नदी क्षेत्र घडियाल परियोजना के प्रतिबन्धित क्षेत्र में होने से इसमें होने वाले अवैध खनन/निर्गमन के विरूद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही वन विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा ही की जाती है। चम्बल नदी से खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरूद्ध एस.आई.टी. द्वारा वर्ष 2018–19, 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 में की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार हैः–

अवधि	कुल दर्ज प्रकरणों की संख्या	न्यायालय में चालान	एफआर	पुलिस स्तर पर पेडिंग
2018–19	157	149	6	2
2019–20	129	98	1	30
2020–21	93	14	0	79

2021—22	95	1	0	94
2022—23 (31.08.22 तक)	63	0	0	63
कुल	537	262	7	265

अंत में अध्यक्ष महोदय ने सभी सम्बन्धित विभागो को एक–दूसरे के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यवाही सुनिश्चित कराने तथा की गई कार्यवाही/अनुपालना से अवगत कराने के निर्देश दिये। तत्पश्चात बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(मुकेशचन्द मंगल)
खनि अभियन्ता

क्रमांकःएनजीटी/248/2022/खनि/2022 /234-263 दिनांकः– 19/10/2022

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. अतिरिक्त निदेशक खान एवं भू–विज्ञान विभाग राजस्थान कोटा
2. अति. निजी सचिव जिला कलक्टर धौलपुर
3. जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर
4. उप वन संरक्षक धौलपुर/उप वन संरक्षक वन्यजीव सवाई माधोपुर
5. अति. जिला कलक्टर धौलपुर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर
6. प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग/राजस्व अनुभाग कलै0 धौलपुर
7. उपखण्डाधिकारी धौलपुर/बाडी/बसेडी/राजाखेडा/सैपऊ/सरमथुरा
8. अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन विभाग धौलपुर
9. तहसीलदार धौलपुर/बाडी/बसेडी/राजाखेडा/सैपऊ/सरमथुरा/मनियां
10. जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर
11. खनि अभियंता धौलपुर/महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र धौलपुर
12. जिला रसद अधिकारी धौलपुर
13. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी धौलपुर
14. संबंधित..

खनि अभियन्ता

Scene Report **Annexure R/2**

For implementation of directions given by Hon'ble NGT New Delhi in case no.OA248/2022 on 21.9.2022 the Addl. Chief Secretary, Mines and Petroleum, Rajasthan Jaipur after holding review meeting in the room of District Collector Dhaulpur, did spot inspection of Chambal River area with Addl. Chief Secretary accompanying with undersigned, Mines Engineer Bharatpur, Mines Engineer Dhaulpur and Station Officers.

There is not being any mining of grit in Chambal River towards Rajasthan. After spot inspection the Addl. Chief Secretary came back from spot after giving direction to team of mines and police department for doing effective proceeding against illegal mining /expulsion of grit.

On spot inspection of Chambal River area it was found 40-50 tractors are loading grit by standing in que with the help of JCB machines at the bank of Chambal River towards District Murena of State of Madhya Pradesh. These tractors while remaining in Madhya Pradesh Boarder by the side of Chambal River reach on Murena Dhaulpur Road while going through katcha rasta. On spot grit mining place, katcha road and road of highway from katcha road, all these fall within the boarder of Madhya Pradesh. Some tractor out of these were trying to go towards Dhaulpur through the bridge constructed over Chambal River but looking team of police and mines department, three fearless tractor drivers unloaded grit on Murena Dhaulpur highway on spot and tried to

obstruct highway due to which Murena Dhaulpur road remained obstructed for sometime. One empty tractor trolley driver by bringing his tractor trolley (in Madhya Pradesh Boarder) by jumping road divider and coming on Dhaulpur Murena road and further by moving in front of vehicles of police department and mines department started to wave on road and started playing deck (music system) on road loudly and made full effort to prevent Govt. vehicles to proceed further and tractor driver also dared to hit back of Govt. vehicles from trolley. On being law and order situation bad on spot, the Rajasthan team returned towards boarder. Other tractor drivers by leaving tractors having loaded from mineral grit within boarder of Madhya Pradesh State had run away from spot. Again blocked on Sagarpada outpost in Dhaulpur (Rajasthan) for grit was made but any tractor having loaded grit did not come.

The spot report is presented for perusal.

Sd/-

Avinash Kuldeep

Superintending Mines Engineer

Bharatpur Circle

Bharatpur

/True translated copy/

–:मौका रिपोर्ट:–

माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बैंच, नई दिल्ली द्वारा प्रकरण संख्या ओ.ए. 248/2022 में दिनांक 21.09.2022 को दिये निर्देशों की क्रियान्वित हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव, महोदय खान एवं पैट्रोलियम राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 13.01.2023 को जिला कलक्टर, धौलपुर के कक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित करने के उपरान्त माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव मय अद्योहस्ताक्षरकर्ता, खनि अभियन्ता भरतपुर, खनि अभियन्ता धौलपुर व पुलिस थानाधिकारी के साथ चम्बल नदी क्षैत्र का मौका निरीक्षण किया गया।

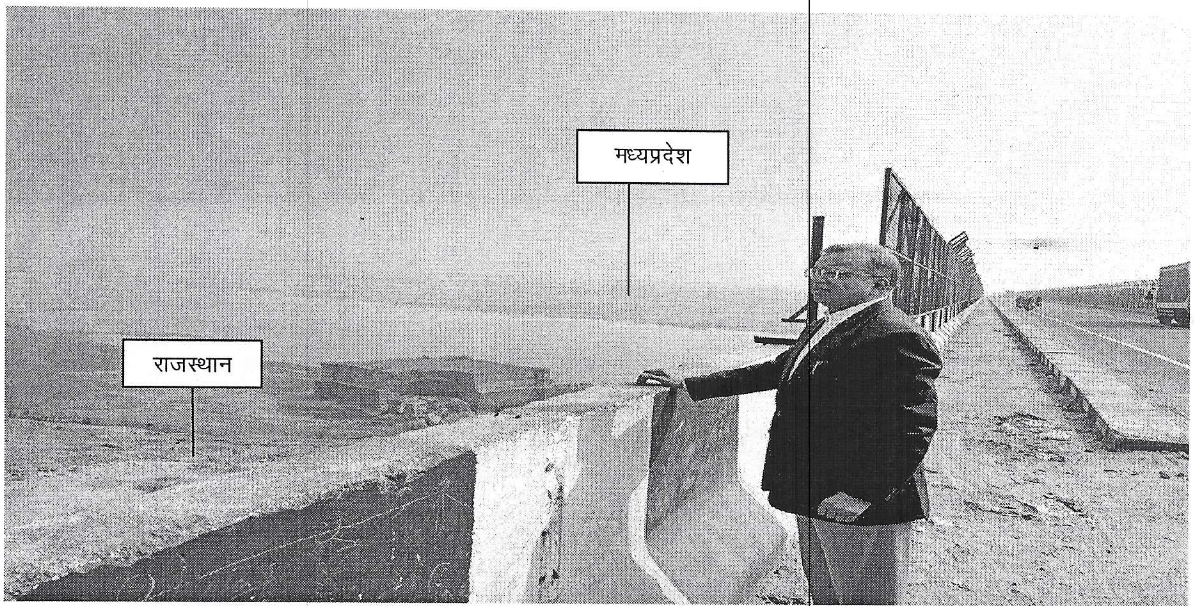

राजस्थान के तरफ चम्बल नदी में किसी प्रकार का कोई बजरी खनन नही हो रहा था। मौका निरीक्षण उपरान्त अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय द्वारा खान एवं पुलिस विभाग की टीम को बजरी के अवैध खनन/निर्गमन के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही के निर्देश देने के बाद मौके से वापिस आ गये।

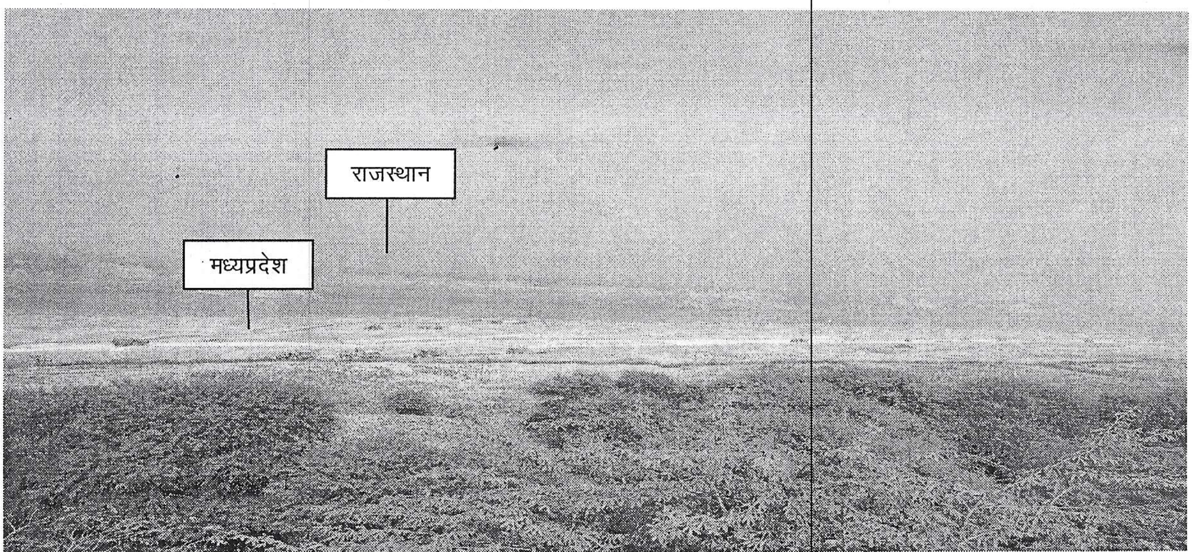

चम्बल नदी क्षैत्र का मौका निरीक्षण करने पर पाया गया कि मध्यप्रदेश राज्य के जिला मुरैना की तरफ चम्बल नदी के तट पर जे.सी.बी. मशीनों की मदद से 40–50 ट्रैक्टरों द्वारा लाइन

लगाकर बजरी को भरा जा रहा था। ये टैक्टर चम्बल नदी के किनारे मध्यप्रदेश की सीमा में रहते हुये कच्चे रास्ते से चलते हुये मुरैना–धौलपुर मार्ग पर पहुँचते है। मौके पर बजरी खनन स्थान, कच्चे रास्ते एवं कच्चे रास्ते से हाईवे का रास्ता ये सभी मध्यप्रदेश की सीमा में पड़ते है। इन ट्रैक्टरों में से कुछ ट्रेक्टर चम्बल नदी के ऊपर बने पुल पर होकर धौलपुर की तरफ जाने के प्रयासरत थे लेकिन पुलिस एवं खान विभाग की टीम को देखकर मौके पर 3 ट्रेक्टर चालकों ने बैखोफ मुरैना–धौलपुर हाईवे पर बजरी खाली कर दी तथा हाईवे को जाम करने का प्रयास किया जिससे कुछ देर मुरैना–धौलपुर मार्ग बाधित रहा। एक खाली ट्रैक्टर–ट्रोली चालक द्वारा अपनी ट्रेक्टर–ट्रोली को (मध्यप्रदेश की सीमा में) रोड डिवाइडर को फांद कर धौलपुर–मुरैना रोड़ पर आकर पुलिस वाहन व खान विभाग के वाहन के आगे चलाकर रोड़ पर लहराने लगा और डेक (Music system) को रोड़ पर जोर–जोर से चलाने लगा और राजकीय वाहनों को आगे जाने से रोकने का पूरा प्रयास किया एवं ट्रेक्टर चालक द्वारा सरकारी वाहनों को ट्रोली के पिछे की तरफ से टक्कर मारने की हिम्मत भी की गई। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिती खराब होने पर टीम राजस्थान सीमा की तरफ लौट आई। मौके पर अन्य ट्रेक्टर चालक खनिज बजरी से भरे ट्रेक्टरों को मध्यप्रदेश राज्य की सीमा में छोडकर फरार हो गयें। पुनः धौलपुर (राजस्थान) में सागरपाडा चौंकी पर बजरी हेतु नाकाबन्दी की गई लेकिन कोई ट्रैक्टर बजरी का नहीं आया।

मौका रिपोर्ट वास्ते अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

(अविनाश कुलदीप)
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
भरतपुर–वृत, भरतपुर

राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.14(1)खान/ग्रुप–2/2012 जयपुर, दिनांकः 05 JUL 2021

परिपत्र

अवैध खनन की रोकथाम के संबंध में विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता डॉ0 मनीष सिंघवी के पत्र दिनांक 28.01.2012 के कम में इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 09.02.2012 द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गये थे।

यह स्पष्ट है कि खनिजों का खनन वैध खनन पट्टा/लाइसेंस/परमिट के अन्तर्गत ही किया जा सकता है। इसके अलावा खनन किया जाना अवैध खनन की परिभाषा में आता है, जिसे रोका जाना एवं दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। वन क्षेत्रों में खनन, भारत सरकार के अनारक्षण स्वीकृति के बगैर किया जाना गैर–वानिकी गतिविधियों में आता है। उक्त परिपत्र की पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु पूर्व परिपत्र की निरन्तरता में निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. वन क्षेत्रों में अवैध खनन रोकने की पूर्ण जिम्मेदारी वन विभाग की होगी एवं इसके लिए संबंधित वन क्षेत्र के प्रभारी एवं उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी पालना किये जाने हेतु जिम्मेवार रहेंगे। न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु संबंधित उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी द्वारा प्रकरण के प्रभारी अधिकारी को शपथ पत्र भिजवाया जाएगा।
2. गैर–वन क्षेत्रों में अवैध खनन रोकने की जिम्मेवारी खान विभाग की रहेगी एवं इसके लिए खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता पालना किये जाने हेतु जिम्मेवार रहेंगे। न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता द्वारा प्रकरण के प्रभारी अधिकारी को शपथ पत्र भिजवाया जाएगा।
3. खातेदारी भूमि में अवैध खनन किये जाने पर इसकी सूचना संबंधित तहसीलदार को देने हेतु क्षेत्र का हल्का पटवार जिम्मेवार होगा। पटवारी/खान विभाग द्वारा सूचना दिये जाने पर तहसीलदार द्वारा खातेदार के खातेदारी अधिकार निरस्त किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावें। तहसीलदार द्वारा अवैध खनन हेतु खान विभाग के नियमों में दी गई शक्तियों का उपयोग कर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाए।
4. यदि कोई भूमि औद्योगिक/अन्य कार्यों हेतु रीको/यू.आई.टी./अन्य संस्थाओं को आवंटित कर दी गई हो एवं उसमें अवैध खनन होता हो तो संबंधित संस्था के प्रभारी द्वारा पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराई जानी चाहिए। यदि उक्त संस्थाएं उन्हे जिस कार्य हेतु भूमि आवंटित की गई है, उसे करने में विफल रहती है तथा अवैध खनन होता हो तो ऐसे आवंटन निरस्त किये जाने हेतु जिला कलक्टर/सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जावें।
5. राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा अवैध खनन की रोकथाम हेतु संयुक्त अभियान चलाये जाने पर संयुक्त दल में नामित अधिकारी अवैध खनन रोकथाम हेतु विभागीय नियमों के तहत संयुक्त रूप से कार्यवाही करेंगे।

(निरंजन आर्य)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खान मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
8. समस्त जिला कलक्टर।
9. विशेषाधिकारी (तक.)/उपविधि परामर्शी, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. समस्त अतिरिक्त निदेशक (खान)/(भू-विज्ञान), अधीक्षण खनि अभियंता, खनि अभियंता, सहायक खनि अभियंता द्वारा निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

Annexure R/4

Office of Mines Engineer Mines and Geology Department

Dhaulpur, Rajasthan

No.NGT/248/2022/Mines/2022/37 Dated: 13.1.2023

Minutes of meeting

In compliance of direction given by Hon'ble NGT New Delhi on 21.9.2022 in Case No.OA 248/2022, the meeting was held on 13.1.2023 in morning at 11.30 hours in District Collectorate Dhaulpur for review of implementation of directions given /decision taken in meeting held in the Chairmanship of Distt. Collector on 11.10.2022, in which following officers had entered appearance:-

Sl.no.	Name of officers	Post name
1.	Sh. Subodh Aggarwal (special presence)	Add. Chief Secretary Mines and Petroleum Department Rajasthan, Jaipur.
2.	Sh. Anil Kumar Aggarwal	Distt. Collector, Dhaulpuar.
3.	Sh. Dharmendra Singh	Distt. Superintendent of Police Dhaulpur.
4.	Sh. Avinash Kuldeep	Superintending Mines Engineer Bharatpur.
5.	Sh. Kishor Gupta	Dy. Conservator of Forest Social Forestry, Dhaulpur.
6.	Sh. R.N. Mangal	Mines Engineer, Bharatpur.

7.	Sh. Mukesh Chandra Mangal	Mines Engineer, Dhaulpur.
8.	Sh. Asharam Meena	Executive Engineer PHED Dhaulpur.
9.	Sh. Jainarain Chhetiwal	Executive Engineer PHED Wadi.
10.	Sh. Ramvir Singh	MVI Representative District Transport Officer, Dhaulpur.
11.	Sh. Rajkumar Meena	District Public Relation Officer, Dhaulpur.

It was informed in meeting that the case no.OA248/2022 has been registered suo moto in NGT New Delhi in which for preparing plan for further action and presenting status repot the Hon'ble NGT by order dated 5.4.2022 passed in OA No.248/2022 had constituted committee. The constituted committee after inspecting the Chambal river on 17.5.2022 according to direction of Hon'ble NGT New Delhi had presented joint committee inspection report in NGT New Delhi on 14.7.2022. The Hon'ble NGT New Delhi by passing order on 21.9.2022 gave direction for ensuring compliance of recommendations mentioned in joint committee inspection report dated 17.5.2022. Meeting was held on 11.10.2022 to ensure compliance of recommendations mentioned in joint inspection committee report dated 14.7.2022 and order passed by Hon'ble NGT New Delhi on 21.9.2022.

The Additional Chief Secretary has informed that in above case next date of hearing 24.1.2023 was fixed by Video conferencing and direction was given for operating special campaign by officer /employees of the department jointly from dated 16th to 23rd January, 2023 for getting the directions of Hon’ble NGT complied with.

The District Collector has informed that for ensuring compliance of directions given by Hon’ble NGT New Delhi on 21.9.2022 the meeting of Distt. Level Committee was held on 11.10.2022 in his Chairmanship and certain decision were taken. Following decision was taken while doing review of pointwise progress of the decisions taken in previous meeting:-

Sl.no.	Recommendation made by Hon’ble NGT	Decision taken in meeting/ given directions
1.	An independent dedicated special task force either State Police or Central force may be deployed at illegal sand mining sites in NCS area for taking stern action against	According to recommendation made by NGT special task force is to be constituted by appointment of State Level Police or Central Force. Above proceeding is to be done from the State Level. In this regard let letter be issued to Principal Secretary to the Govt.

	defaulters at least two full sand seasons.	Department of Home and Forest Department.
2.	An interstate task force may be constituted with members of stack holder departments for proper co-ordination and joint action.	Inter –State Task Force is to be constituted with coordination of stake holder departments. Above proceeding is to be done at State level. In this regard let letter be issued to the Principal Secretary of the Govt. Home Department, so that concerned State could be written at Govt. level for constitution of Inter –State Task Force.
3.	Adequate number of check post equipped with CCTV Surveillance camera connected with server accessible to all concerned shall be provided for effective monitoring.	For effective monitoring surveillance check post with CCTV Camera and internet connectivity is to be established and for this purpose sufficient budget and employees (staff) will be required. Sufficient budget and approval of the govt. level for this purpose is required. In this regard let Dy. Conservator of forest (wildlife)

		Sawaimadhopur be written for establishing surveillance check post with CCTV camera and internet connectivity under department scheme or from campa etc. and for the above proceeding out from forest area letter be written for establishing coordination from information and technology department and for necessary budget. Apart from this let letter be written to the forest department for granting powers of Dy. Conservator of Forest (wildlife) to the Dy. Conservator of Forest Social Forestry Dhaulpur or for doing proceeding.
4.	Creating alternative livelihood opportunity for locals who are totally dependent on illegal mining.	The alternative employment to the local people dependent /involved in illegal mining can be given under MGNREGA or can be connected with Chief Minister Minor Industry Inspiration Scheme. By convening camp

		through Distt. Employment Officer for employment of local people involved /dependent in illegal mining, they be connected with employment.
5.	Equipping forest force with latest weapons and increasing their numbers along with boat patrolling and drone survey facilities.	After appointment of forest force with weapon monitoring through drone together with boat is to be done in river, for this purpose there would be required weapon and necessary resources for forest force and in this regard approval and sufficient budget will be required from State level. Talk was held with Dy. Conservator of Forest (wildlife) by Addl. Chief Secretary on telephone. Dy. Conservator of Forest (wildlife) requested for providing 20 boarder home guard with weapon and two vehicles. In this regard Addl. Chief Secretary talked with Principal Secretary Forest Department

		whereon, he gave assurance for taking necessary action immediately.
6.	Creating alternative of sand available in this area like sand crush etc. since there is no alternate of NCS where alternate sand may be there.	In District M Sand is not available as alternative source of sand. In nearest district Bharatpur of the district and in Karoli Rajasthan M Sand is available, the demand is being fulfilled from there.
7.	Opening source are for legal mining. It is under pipeline NCS Morena have proposed 292 hectare of area for de-notification, so that local requirement can be fulfilled. This proposal is with NBWI for approval.	In Dhaulpur District two plots of mineral grit under Parwati River was delineated and auctioned. The permission of above both plots has been issued presently, the contract of which has immediately being executed and legal mining work of mineral grit will be started.
8.	In case of Law and Order situation if	For law and order situation granting judicial power as

	any enquiry is instituted against any forest officer, the power of magisterial enquiry should be given to the forest department.	institution to the police department and forest department is appropriate. Above proceeding is required to be done at State level, let forest department be written in this regard.
9.	Considering it a big problem, every stakeholder department should come together and do their boat.	In meeting all concerned department (stakeholders) were directed for taking joint action with necessary safety. All concerned department (stake holders) by establishing coordination with one another would carry special campaign from 16th to 23rd January and would got ensured compliance of directions of NGT. Above campaign will be monitored by Mines Engineer Bharatpur as special officer. All concerned department shall depute by assigning duty of staff /employees 24 x 7 on check post of Sagarpada.

10.	RTO shall be directed to seize transport vehicles used in illegal transportation of river sand from NCS area and to cancel registration of illegal miners vehicle who are without number plates.	Direction was given to District Superintendent of police Dhaulpur for capturing /seizing the vehicles without having number plates and involved in expulsion of illegal sand in district and direction was given to District Transport Officer for doing proceeding towards cancellation of their registration.
11.	Petrol pump not be give diesel/petrol to vehicles involved in this.	In regard to no giving petrol /diesel to the vehicles involved in illegal expulsion of sand in district the action can be taken only in accordance with legal provisions and prevailing guidelines. In this regard decision was taken that the District Magistrate shall direct to the oil companies /petrol pump dealers to not give petrol/diesel to the vehicles not having number plates and the vehicles involved

		in illegal expulsion of sand in district and petrol pump dealers shall maintain register for monitoring of above and appropriate direction in this regard was given.
12.	Illegal properties of illegal miners to be seized.	Direction was given to Superintendent of police Dhaulpur, Dy. Conservator of Forest, Social Forestry Dhaulpur and Dy. Conservator of Forest Wildlife Sawaimadhopur for providing list by marking the persons involved in illegal mining of sand in district to the revenue department.
13.	Police to come heavily on illegal miners.	The police and other stakeholders are doing strict proceedings against the persons involved in illegal mining of sand. District Superintendent of police Dhaulpur informed that 100 FIR against 200 persons has been registered against illegal mining and they have been arrested.

14.	Revenue department to register case against those whose land is used for illegal sand dumping.	Direction was given to concerned sub divisional officer /tehsildar for doing proceeding after registration of case against owner of the land which is being used for storage of illegal sand and Distt. Superintendent of police, Dy. Conservator of Forest, Wildlife Sawaimadhopur were directed for preparing list of above lands and land owners and to provide the same to the concerned Sub Divisional Officer /Tehsildar of the Revenue Department.
15.	A strong political will required to stop the activities of sand mafia.	The proceeding in this regard is not required at the District Administration Level.
16.	A mass publicity of action taken by forces on illegal mining should be regularly carried out through local	The action taken against illegal sand mining /expulsion /storage in district is widely circulated /advertised through print/ electronic etc. for this purpose direction was given to district

	newspaper, FM Radio etc.	information and public relation officer and concerned departments.
17	Local public participation also needs to be encouraged for their contribution to control the illegal mining. Awareness campaign among the public about the side effects of illegal mining through MLAs, MPs and public representatives may be started by forest department or other concerned authorities.	Direction was given to concerned departments to ensure cooperation of local MLA, MP and Public Representatives in campaign being held for awareness of local people about bad effects of illegal mining in district.
18.	A continuous media campaign shall be started for creating awareness in public	The Dy. Conservator of Forest Social Forestry Dhaulpur has informed that recently from 2nd October, to 8th October, 2022

	about environment and wildlife related to Chambal River and side effects of illegal mining on it.	wildlife safety week was celebrated for bringing awareness about bad effects of illegal mining and about Chambal river in regard to environment and wildlife in district, in which the people were made aware about the use in safety of wildlife. Direction was given to held such awareness programme /campaign in future also.

In meeting undersigned has informed that due to being Chambal River area within restricted area of Ghariyal Project the proceeding under Wildlife Protection Act is done by forest department and police department against illegal mining /expulsion being held in this area. The details of action taken by SIT in the year 2020-21, 2021-22 and 2022-23 (1.4.2022t to 31.12.2022) against illegal mining /expulsion /storage of mineral grit from Chambal River is as follows:-

Period	Number of total registered cases	Charge sheeted in court	F.R.	Pending at police level
2020-21	93	14	0	79

2021-22	95	1	0	94
2022-23	103	96	0	07

Thereafter, the meeting concluded by extending thanks.

Sd/-

(Mukeshchand Mangal)

Mining Engineer

No.NGT/248/2022/Mines/2022/38-73 Dated: 13.1.202

1. Personal Secretary, Director General of Police, Rajasthan, Jaipur.
2. Personal Secretary, Addl. Chief Secretary to the Govt. Mines and Petroleum Department, Govt. Secretariat, Jaipur.
3. Personal Secretary, Addl. Chief Secretary, Information and Technology and Telecommunication Department, Jaipur.
4. Personal Secretary, Addl. Chief Secretary, Food and Citizen Supply and Consumer Affairs Department, Jaipur.
5. Personal Secretary, Principal Secretary to the Govt. Forest Department Jaipur.
6. Personal Secretary, Principal Secretary to the Govt. Home Department, Jaipur.
7. Director Mines and Geology Department, Rajasthan, Udaipur.
8. Addl. Personal Secretary, Distt. Collector Dhaulpur.
9. Addl. Director Mines and Geology Department Rajasthan, Kota.
10. Distt. Superintendent of Police, Dhaulpur.

11. Superintending Mines Engineer, Bharatpur.
12. Dy. Conservator of Forest, Social Forestry Dhaulpur/Dy. Conservator of Forest (Wildlife) Sawaimadhopur.
13. Addl. Distt. Collector, Dhaulpur/Chief Executive Officer, Distt. Board Dhaulpur.
14. All Sub Divisional Officer/Tehsildar Distt. Dhaulpur.
15. Distt. Transport Officer, Dhaulpur.
16. Mines Engineer, Dhaulpur/Bharatpur.
17. Distt. Supply Officer, Dhaulpur /General Manager District Industry Center Dhaulpur.
18. ACP District Information and Technology Department Dhaulpur/District Employment Officer, Dhaulpur.
19. District Information and Public Relation Officer, Dhaulpur.
20. Concerned.

Sd/-

Mining Engineer

/True translated copy/

15(प)

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग धौलपुर (राजस्थान)

क्रमांकःएनजीटी/248/2022/खनि/2022/37 दिनांकः- 13/1/2023

बैठक कार्यवाही विवरण

माननीय एनजीटी नई दिल्ली द्वारा प्रकरण संख्या ओ.ए.248/2022 में दिनांक 21.9.2022 को दिये गये निर्देशो के कम में दिनांक 11.10.2022 को जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिए गये निर्णय/दिये गये निर्देशो की कियान्विति की समीक्षा हेतु दिनांक 13.1.2023 को प्रातः 11:30 बजे जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर में बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्न अधिकारीगण उपस्थित हुये:-

क.सं.	नाम अधिकारी	पद नाम
1.	श्री सुबोध अग्रवाल (विशेष उपस्थिति)	अति. मुख्य सचिव महोदय खान एवं पेट्रोलियम विभाग राज. जयपुर
2.	श्री अनिल कुमार अग्रवाल	जिला कलक्टर धौलपुर
3.	श्री धर्मेन्द्र सिंह	जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर
4.	श्री अविनाश कुलदीप	अधीक्षण खनि अभियन्ता भरतपुर
5.	श्री किशोर गुप्ता	उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी धौलपुर
6.	श्री आर.एन. मंगल	खनि अभियन्ता भरतपुर
7.	श्री मुकेश चन्द्र मंगल	खनि अभियन्ता धौलपुर
8.	श्री आशाराम मीना	अधिशाषी अभियन्ता पीएचईडी धौलपुर
9.	श्री जयनारायण छेतीवाल	अधिशाषी अभियन्ता पीएचईडी बाडी
10.	श्री रामवीर सिंह	एमवीआई प्रतिनिधि जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर
11.	श्री राजकुमार मीणा	जिला जन सम्पर्क अधिकारी धौलपुर

बैठक में अवगत कराया गया कि माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली में प्रकरण कमांकःओ.ए. 248/2022 सुमोटो दर्ज हुआ है, जिसकी वस्तुस्थिति रिपोर्ट एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्लान तैयार कर प्रस्तुत करने बाबत् माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा O. A. No. 248/2022 में दिनांक 05.04.2022 को आदेश जारी कर कमेटी का गठन किया गया। गठित कमेटी द्वारा माननीय एनजीटी नई दिल्ली के निर्देशानुसार चम्बल नदी का दिनांक 17.05.2022 को निरीक्षण किया जाकर संयुक्त कमेटी निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 14.07.2022 को मा0 एनजीटी नई दिल्ली में प्रस्तुत की गई। माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21.09.2022 को आदेश जारी कर संयुक्त कमेटी निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 17.5.2022 में वर्णित सिफारिशो की पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये। संयुक्त निरीक्षण कमेटी निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 14.07.2022 में वर्णित सिफारिशो व मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21.9.2022 को आदेश जारी कर दिये गये निर्देशो की पालना सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में दिनांक 11.10.2022 को बैठक आयोजित की गई थी।

अति मुख्य सचिव महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त प्रकरण में आगामी सुनवाई तिथि 24.1.2023 को वीडियो कॉन्फ्रेन्सिग के माध्यम से नियत होने से मा0 एनजीटी द्वारा दिये गये निर्देशो की पालना कराने हेतु दिनांक 16 से 23 जनवरी 2023 तक सम्बन्धित विभाग के अधिकारी/कार्मिक संयुक्त रूप से विशेष अभियान चलाये जाने के निर्देश दिये गये।

जिला कलक्टर महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 एनजीटी नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21.9.2022 को दिये गये निर्देशो की पालना सुनिश्चित कराने हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 11.10.2022 को उनकी अध्यक्षता में आयोजित की गई थी व कतिपय निर्णय लिये गये थे। गत बैठक में लिये गये निर्णयों की प्रगति की बिन्दुवार समीक्षा करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिए गये:–

क्र. सं.	मा0 एनजीटी द्वारा की गई अनुशंषा	बैठक में लिए गये निर्णय/दिये गये निर्देश
1	An independent dedicated special task force either State Police or Central force may be deployed at illegal sand mining sites in NCS area for taking stern action against defaulters at least two full sand seasons.	एनजीटी द्वारा की गई अनुशंपा के अनुसार विशेष टास्क फोर्स का गठन राज्य स्तरीय पुलिस अथवा केन्द्रीय फोर्स तैनात की जाकर किया जाना है। उक्त कार्यवाही राज्य स्तर से की जानी है। इस सम्बन्ध में प्रमुख शासन सचिव महोदय गृह विभाग व वन विभाग को पत्र जारी किया जाये।
2	An interstate task force may be constituted with members of stack holder departments for proper co-ordination and joint action.	अन्तर राज्यीय टास्क फोर्स का गठन स्टेक हॉल्डर विभागों के समन्वय से किया जाना है। उक्त कार्यवाही राज्य स्तर से की जानी है। इस सम्बन्ध में प्रमुख शासन सचिव महोदय गृह विभाग को पत्र जारी किया जाये जिससे शासन स्तर से इन्टर स्टेट टॉस्क फोर्स गठन हेतु सम्बन्धित राज्य को लिखा जा सके।
3	Adequate number of check post equipped with CCTV Surveillance camera connected with server accessible to all concern shall be provided for effective monitoring.	प्रभावी मॉनीटरिंग हेतु सर्विलाईन्स चैक पोस्ट मय सीसीटीवी कैमरा व इन्टरनेट कनेक्टिविटी के स्थापित किया जाना है। इसके लिये पर्याप्त बजट एवं कार्मिक (स्टाफ) की आवश्यकता होगी। इस हेतु पर्याप्त बजट व स्वीकृति राज्य स्तर से अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में वन क्षेत्र में सर्विलाईन्स चैक पोस्ट मय सीसीटीवी कैमरा व इन्टरनेट कनेक्टिविटी के स्थापित किये जाने की कार्यवाही विभागीय योजनान्तर्गत अथवा कैम्पा आदि से कराने हेतु उप वन संरक्षक (वन्यजीव) सवाईमाधोपुर को तथा वन क्षेत्र से बाहर उक्त कार्यवाही हेतु सूचना एंव प्रौद्योगिकी विभाग से समन्वय स्थापित कर कराये जाने तथा आवश्यक बजट हेतु लिखा जावे। इसके अतिरिक्त जिले में प्रभारी मॉनीटरिंग हेतु उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी धौलपुर को जिले के उप वन संरक्षक (वन्यजीव) का चार्ज दिलाये जाने अथवा कार्यवाही किये जाने हेतु शक्तियां प्रदान किये जाने हेतु वन विभाग जयपुर को लिखा जावे।
4	Creating alternative livelihood opportunity for locals who are totally dependent on illegal mining.	अवैध खनन में संलिप्त/निर्भर स्थानीय लोगो के लिये वैकल्पिक रोजगार के तहत् मनेरगा अन्तर्गत कार्य दिया जा सकता है अथवा मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना से जोड़ा जा सकता है। जिला रोजगार अधिकारी के माध्यम से अवैध खनन में संलिप्त/निर्भर स्थानीय लोगो के गॉव में रोजगार हेतु कैम्प आयोजित किये जाकर उनको रोजगार से जोड़ा जावे।
5	Equipping forest force with latest weapons and increasing their numbers along with boat patrolling and drone survey facilities.	वन फोर्स को हथियार के साथ तैनात किया जा कर नदी में नाव (बोट) के साथ तथा ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जानी है। इसके लिये वन फोर्स को हथियार व आवश्यक संसाधनो की आवश्यकता होगी। इस हेतु पर्याप्त

		बजट व स्वीकृति राज्य स्तर से अपेक्षित है। अति. मुख्य सचिव महोदय ने उप वन संरक्षक (वन्यजीव) से दूरभाष पर वार्ता की गई। उप वन संरक्षक (वन्यजीव) द्वारा 20 वार्डर होमगार्ड मय हथियार व 02 गाडियां उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। इस सम्बन्ध में अति. मुख्य सचिव महोदय ने द्वारा प्रमुख शासन सचिव महोदय वन विभाग से वार्ता की गई जिस पर उन्होने शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया गया।
6	Creating alternative of sand available in this area like sand crush etc. since there is no alternate of NCS where alternate sand may be there.	जिले में रेत के वैकल्पिक स्त्रोत के रूप में एम–सेण्ड उपलब्ध नही है। जिले के निकटतम जिले भरतपुर एवं करौली (राज0) से एम–सेण्ड उपलब्ध है जहाँ से मांगपूर्ति की जा रही है।
7	Opening source area for legal mining. It is under pipeline NCS Morena have proposed 292 hectare of area for de-notification. so that local requirement can be fulfilled. This proposal is with NBWI for approval.	धौलपुर जिले में पार्वती नदी के अन्तर्गत खनिज बजरी के दो प्लॉट डेलीनियेट कर नीलाम किये गये थे। उक्त दोनो प्लॉटो की स्वीकृति वर्तमान में जारी की जा चुकी है जिनका शीघ्र ही संविदा निष्पादन कराया जाकर खनिज बजरी का वैध खनन कार्य प्रारम्भ किया जायेगा
8	In case of Law and Order situation if any enquiry is instituted against any forest officer, then power of magisterial enquiry should be given to the forest department.	कानून व्यवस्था हेतु वन विभाग एवं पुलिस विभाग को संस्थागत रूप से न्यायिक शक्तियां प्रदान किया जाना उचित है। उक्त कार्यवाही राज्य स्तर से किया जाना अपेक्षित है। इस हेतु वन विभाग को लिखा जावे।
9	Considering it a big problem, every stackeholder department should come together and do their bot.	बैठक में सभी सम्बन्धित विभाग (स्टेक हॉल्डर) को सयुक्त रूप से व आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था के साथ संयुक्त कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये। सभी सम्बन्धित विभाग (स्टेक हॉल्डर) एक–दूसरे के साथ समन्वय स्थापित कर दिनांक 16 से 23 जनवरी 2023 तक विशेष अभियान चलायेगे व मा0 एनजीटी के निर्देशो की पालना सुनिश्चित करायेगे। उक्त अभियान की खनि अभियन्ता भरतपुर स्पेशल ऑफिसर के रूप में निगरानी करेगे। सागरपाड़ा चैक पोस्ट पर सभी सम्बन्धित विभाग 24x7 स्टॉफ/कार्मिको की ड्यूटी लगाकर तैनात करेगे।
10	RTO shall be directed to seize transport vehicles used in illegal transportation of river sand from NCS area and to cancel registration of illegal miners vehicle who are without number plates.	जिले में अवैध रेता निर्गमन में लिप्त वाहनों एवं बिना नम्बर प्लेट के वाहनों को जप्त कर/पकड़ने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर को तथा उनके पंजीयन को निरस्त किये जाने की कार्यवाही किये जाने हेतु जिला परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया गया।
11	Petrol pump not to give diesel/petrol to vehicles involved in this.	जिले में अवैध रेता निर्गमन में संलिप्त वाहनों को पेट्रोल/डीजल नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में विधिक प्रावधान व प्रचलित दिशा निर्देशो के अनुसार ही कार्यवाही की जा सकती है। इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऑयल कम्पनियों/पेट्रोल पम्प संचालको को जिले में अवैध रेता निर्गमन में संलिप्त वाहनों व बिना नम्बर प्लेट वाले वाहनो को पेट्रोल/डीजल

		नहीं दिये जाने तथा उक्त की मॉनीटरिंग हेतु रजिस्टर सम्बन्धित पेट्रोल पम्प संचालको द्वारा संधारित किये जाने हेतु समुचित निर्देश जारी किये जाये।
12	Illegal properties of illegal miners to be seized.	जिले अवैध रेता खनन में संलिप्त व्यक्तियों को चिन्हित कर सूची राजस्व विभाग को उपलब्ध कराने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर, उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी धौलपुर, उप वन संरक्षक वन्यजीव सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया।
13	Police to come heavily on illegal miners.	पुलिस एवं अन्य स्टेक हॉल्डर द्वारा अवैध रेता खननकर्ताओं के विरूद्ध सख्ती से कार्यवाही की जा रही है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर द्वारा अवगत कराया गया कि अवैध खनन के विरूद्ध 200 व्यक्तियो के खिलाफ 100 एफआईआर दर्ज की जाकर उनके गिरफ्तार किया जा चुका है।
14	Revenue department to register case against those whose land is used for illegal sand dumping.	अवैध रेता भण्डारण किये जाने हेतु उपयोग में ली जाने वाली भूमि के मालिक के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित उपखण्डाधिकारी/तहसीलदार को तथा उक्त भूमियों व भूमि मालिको की सूची तैयार कर राजस्व विभाग के सम्बन्धित उपखण्डाधिकारी/तहसीलदार को उपलब्ध कराने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर, उप वन संरक्षक वन्यजीव सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया गया।
15	A strong political will required to stop the activities of sand mafia.	जिला प्रशासन स्तर से इस सम्बन्ध में कार्यवाही अपेक्षित नही है।
16	A mass publicity of action taken by forces on illegal mining should be regularly carried out through local news paper, FM Radio etc.	जिले में अवैध रेता खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरूद्ध की गयी कार्यवाही का प्रिन्ट/इलेक्ट्रोनिक आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार किया जाता है। इस हेतु जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी व सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया।
17	Local public participation also needs to be encouraged for their contribution to control the illegal mining. Awareness campaign among the public about the side effects of illegal mining through MLAs, MPs and public representatives may be started by forest department or other concerned authorities.	जिले में अवैध खनन के दुष्प्रभावों के बारे में स्थानीय लोगों में जागरूकता लाने हेतु चलाये जा रहे अभियानों में क्षेत्रीय विधायक, सांसद एवं जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु संबंधित विभागों निर्देशित किया गया।
18	A continuous media campaign shall be started for creating awareness in public about environment and wild life related to Chambal River and side effects of illegal mining on it.	उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी धौलपुर ने अवगत कराया कि जिले में पर्यावरण और वन्य जीव के संबंध मे चम्बल नदी एवं अवैध खनन के दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता लाने हेतु अभी हाल ही में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2022 तक वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह मनाया गया जिसमे वन्य जीवों की सुरक्षा में उपयोगिता के संबंध में लोगों को जागरूक किया गया। भविष्य में भी ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों/अभियानों को आयोजित किये जाने के निर्देश दिये।

बैठक में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि चम्बल नदी क्षेत्र घडियाल परियोजना के प्रतिबन्धित क्षेत्र में होने से इसमें होने वाले अवैध खनन/निर्गमन के विरूद्ध वन्य जीव सरंक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही वन विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा ही की जाती है। चम्बल नदी से खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरूद्ध एस.आई.टी. द्वारा वर्ष 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 (1.4.2022 से 31.12.2022 तक) मे की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है:–

अवधि	कुल दर्ज प्रकरणों की संख्या	न्यायालय में चालान	एफआर	पुलिस स्तर पर पेडिंग
2020–21	93	14	0	79
2021–22	95	1	0	94
2022–23 (1.4.2022 से 31.12.2022 तक)	103	96	0	07

तत्पश्चात बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(मुकेशचन्द मंगल)
खनि अभियन्ता

क्रमांकःएनजीटी/248/2022/खनि/2022 /38–73 दिनांकः–13/1/2023

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, पुलिस महानिदेशक राज. जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव खान एवं पेट्रोलियम विभाग शासन सचिवालय जयपुर।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जयपुर
4. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग जयपुर
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव वन विभाग जयपुर
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव गृह विभाग जयपुर
7. निदेशक खान एवं भू–विज्ञान विभाग राजस्थान उदयपुर
8. अति. निजी सचिव जिला कलक्टर धौलपुर
9. अतिरिक्त निदेशक खान एवं भू–विज्ञान विभाग राजस्थान कोटा
10. जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर
11. अधीक्षण खनि अभियन्ता भरतपुर
12. उपवन संरक्षक सामाजिक वानिकी धौलपुर/उप वन संरक्षक (वन्य जीव) सवाई माधोपुर
13. अति. जिला कलक्टर धौलपुर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर
14. समस्त उपखण्डाधिकारी /तहसीलदार ....जिला धौलपुर
15. जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर
16. खनि अभियंता धौलपुर/भरतपुर
17. जिला रसद अधिकारी धौलपुर/महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र धौलपुर
18. एसीपी जिला सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग धौलपुर/जिला रोजगार अधिकारी धौलपुर
19. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी धौलपुर
20. संबंधित..

खनि अभियन्ता

Annexure R/5

Government of Rajasthan
Mines (Gr.-II) Department

No. F.11(1)(219)/Mines.Gr.-II/2018 Jaipur, Dated: 10 MAY 2018

All District Collectors

Sub.: To constitute special investigating teams for preventing illegal mining/transporatation/stock of bajri.

In above mention subject matter, Hon'ble High Court, Jaipur in S.B.C. Writ Petition no. 9458/2018 vide order dated 03.05.2018 has directed to constitute special investigating teams for preventing illegal mining, transporatation and stock of bajri. You are therefore directed to constitute special investigating teams and take all necessary steps to ensure compliance of the order of the Hon'ble Court and submit the progress report to Pr. Secretary, Mines & Petroleum on weekly basis. Copy of the order is enclosed.

(D.B. Gupta)
Chief Secretary

Copy forwarded to the following for necessary action:-

1. Addl. Chief Secretary, Home Department, Rajasthan, Jaipur.
2. Director General of Police, Rajasthan, Jaipur.
3. Divisional Commissioner, Jaipur, Jodhpur, Udaipur, Ajmer, Bharatpur, Kota, Bikaner.
4. Inspector General of Police, Jaipur, Jodhpur, Udaipur, Ajmer, Bharatpur, Kota, Bikaner.
5. Director, Mines & Geology Department, Rajasthan, Udaipur.
6. All Superintendents of Police
7. Guard file.

Pr. Secretary to Govt.

कार्यालय जिला कलक्टर धौलपुर. (राजस्थान)

क्रमांकःएनजीटी/248/2022/राजस्व/2022 /104 दिनांकः– 15/1/2023

प्रमुख शासन सचिव
गृह विभाग
शासन सचिवालय जयपुर

विषयः–माननीय एन0जी0टी0 प्रिंसीपल बैंच नई दिल्ली द्वारा प्रकरण संख्या ओ.ए. 248/2022 में दिनांक 21.9.2022 को दिये गये निर्देशो/अभिशंषाओं की कियान्विति के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हिन्दु समाचार पत्र दिनांक 27.3.2022 में प्रकाशित शीर्षक **"Digging up the Chambal"** के आधार पर **माननीय एन0जी0टी0 प्रिन्सीपल बैंच नई दिल्ली** में प्रकरण कमांकःओ.ए. 248/2022 दर्ज हुआ है। **माननीय एन0जी0टी0 प्रिन्सीपल बैंच नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 21.9.2022** (आदेश की प्रति संलग्न है) **को सुनवाई के दौरान एनसीएस क्षेत्र में अवैध रेत खनन को रोकने/नियन्त्रित करने हेतु निम्नानुसार निर्देशित किया है:–**

"An independent dedicated special task force either State Police or Central force may be deployed at illegal sand mining sites in NCS area for taking stern action against defaulters at least two full sand seasons."

माननीय एन0जी0टी0 प्रिन्सीपल बैंच नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21.9.2022 को दिये गये निर्देशो की पालना सुनिश्चित कराने हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 11.10.2022 को आयोजित की गई व कतिपय निर्णय लिये गये। गत बैठक में लिये गये निर्णयों की प्रगति की बिन्दुवार समीक्षा हेतु दिनांक 13.1.2023 को अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय खान एवं पेट्रोलियम विभाग जयपुर की विशेष उपस्थिति में सम्बन्धित अधिकारियो के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में लिए गये निर्णयानुसार **स्पेशल टॉस्क फोर्स राज्य पुलिस से तैनात किये जाने की कार्यवाही राज्य स्तर से की जानी है।** बैठक कार्यवाही विवरण की प्रति संलग्न है।

उक्त समीक्षा बैठक के दौरान अति मुख्य सचिव महोदय खान एवं पेट्रोलियम विभाग जयपुर द्वारा **उक्त प्रकरण में आगामी सुनवाई दिनांक 24.1.2023 को वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से नियत होने बताया गया तथा मा0 एनजीटी द्वारा दिये गये निर्देशो की पालना कराने हेतु दिनांक 16 से 23 जनवरी 2023 तक सम्बन्धित विभाग के अधिकारी/कार्मिक को संयुक्त रूप से विशेष अभियान चलाये जाने के निर्देश दिये गये।**

अतः निवेदन है कि **धौलपुर जिले के एनसीएस क्षेत्र में अवैध रेत खनन को रोकने/नियन्त्रित करने हेतु कम से कम दो रेत सीजन में डिफाल्टरों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु एक स्वतन्त्र समर्पित स्पेशल टॉस्क फोर्स राज्य पुलिस से तैनात किये जाने की कार्यवाही कराने का कष्ट** करावे ताकि जिले में चम्बल नदी से अवैध रूप से बजरी/रेता खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाया सकें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

जिला कलक्टर

2517
16/1/23

क्रमांकःएनजीटी/248/2022/राजस्व/2022 /105 दिनांकः– 15/1/2023

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं नियमानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, पुलिस महानिदेशक राज. जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव खान एवं पेट्रोलियम विभाग शासन सचिवालय जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव वन विभाग जयपुर
4. निदेशक खान एवं भू–विज्ञान विभाग राजस्थान उदयपुर
5. अतिरिक्त निदेशक खान एवं भू–विज्ञान विभाग राजस्थान कोटा
6. जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर
7. अधीक्षण खनि अभियन्ता भरतपुर
8. उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी धौलपुर/उप वन संरक्षक (वन्य जीव) सवाई माधोपुर
9. खनि अभियंता धौलपुर
10. जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर
11. संबंधित...

जिला कलक्टर

Annexure R/7 (colly)

राजस्थान सरकार
खान एवं पेट्रोलियम विभाग

विषय–ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 248/2022 Digging in the Chambal राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली।

सन्दर्भ–जिला कलक्टर, धौलपुर का दिनांक 15.01.2023 एवं इस विभाग की अ.शा. टीप दिनांक 17.01.2023।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 21.09.2022 की पालना में जिला कलक्टर, धौलपुर ने अंतर राज्यीय टास्क फोर्स का गठन किए जाने एवं एक स्वतंत्र समर्पित स्पेशल टास्क फोर्स राज्य पुलिस से तैनात किए जाने की कार्यवाही हेतु आपको पत्र दिनांक 15.01.2023 से लिखा गया है। इसी क्रम में जिला कलक्टर के पत्रों की प्रतियां इस विभाग की सन्दर्भित अ. शा. टीप से प्रेषित कर प्रकरण में वांछित कार्यवाही शीघ्र सम्पादित करने हेतु लिखा है।

प्रकरण में आगामी सुनवाई तिथि 24.01.2023 निर्धारित है एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता को जरिये वी.सी. उपस्थित होने के एन.जी.टी. के निर्देश हैं। अतः जिला कलक्टर, धौलपुर के पत्रानुसार प्रकरण में वांछित/आवश्यक कार्यवाही शीघ्र कराने का श्रम करें।

20/01

(डॉ0 सुबोध अग्रवाल)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

20-01-2023

प्रमुख शासन सचिव,
गृह विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

अ0शा0 टीप संख्या प–11(1)(124)/खान/ग्रुप–2/2022
जयपुर, दिनांकः 20 JAN 2023

राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप–2) विभाग

विषय–ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 248/2022 Digging in the Chambal राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली।

सन्दर्भ– जिला कलक्टर, धौलपुर का पत्रांक 106 दिनांक 15.01.2023।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 21.09.2022 की पालना में संदर्भित पत्र के द्वारा जिला कलक्टर, धौलपुर ने अंतर राज्यीय टास्क फोर्स का गठन किए जाने एवं एक स्वतंत्र समर्पित स्पेशल टास्क फोर्स राज्य पुलिस से तैनात किए जाने की कार्यवाही हेतु आपको लिखा गया है। प्रकरण में आगामी सुनवाई तिथि 24.01.2023 को अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान विभाग को जरिये वी.सी. उपस्थित होने के निर्देश हैं। अतः जिला कलक्टर, धौलपुर के पत्र की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि प्रकरण में वांछित कार्यवाही शीघ्र करवाने का श्रम करावे।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

(नीतू बारूपाल)
शासन उप सचिव

प्रमुख शासन सचिव,
गृह विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

अ0शा0 टीप संख्या प–11(1)(124)/खान/ग्रुप–2/2022
जयपुर, दिनांक: 17 JAN 2023

राजस्थान सरकार
खान एवं पेट्रोलियम विभाग

विषय–ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या **248/2022** Digging in the Chambal राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली।

सन्दर्भ–जिला कलक्टर, धौलपुर का दिनांक 15.01.2023 एवं इस विभाग की अ.शा. टीप दिनांक 17.01.2023।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 21.09.2022 की पालना में जिला कलक्टर, धौलपुर ने बजरी के अवैध खनन की प्रभावी मॉनीटरिंग करने, बॉर्डर होम गॉर्ड इत्यादि तैनात करने एवं वन अधिकारी/पुलिस अधिकारी के विरूद्ध जांच करने हेतु जांच का अधिकार वन विभाग/पुलिस विभाग को दिए जाने की कार्यवाही हेतु आपको पत्र दिनांक 15.01.2023 से लिखा गया है। इसी क्रम में जिला कलक्टर के पत्रों की प्रतियां इस विभाग की सन्दर्भित अ. शा. टीप से प्रेषित कर प्रकरण में वांछित कार्यवाही शीघ्र सम्पादित करने हेतु लिखा है।

प्रकरण में आगामी सुनवाई तिथि 24.01.2023 निर्धारित है एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता को जरिये वी.सी. उपस्थित होने के एन.जी.टी. के निर्देश हैं। अतः जिला कलक्टर, धौलपुर के पत्रानुसार प्रकरण में वांछित/आवश्यक कार्यवाही शीघ्र कराने का श्रम करें।

(डॉ० सुबोध अग्रवाल)
अतिरिक्त मुख्य सचिव o/c
20-01-2023

अतिरिक्त मुख्य सचिव,
वन विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

अ0शा0 टीप संख्या प–11(1)(124)/खान/ग्रुप–2/2022
जयपुर, दिनांकः 20 JAN 2023

राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप–2) विभाग

विषय–ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 248/2022 Digging in the Chambal राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली।

सन्दर्भ–जिला कलक्टर, धौलपुर का पत्रांक 108, 110 एवं 112 दिनांक 15.01.2023।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 21.09.2022 की पालना में संदर्भित पत्र के द्वारा जिला कलक्टर, धौलपुर ने बजरी के अवैध खनन की प्रभावी मॉनीटरिंग करने, बॉर्डर होम गॉर्ड इत्यादि तैनात करने एवं वन अधिकारी/पुलिस अधिकारी के विरूद्ध जांच करने हेतु जांच का अधिकार वन विभाग/पुलिस विभाग को दिए जाने की कार्यवाही हेतु लिखा गया है।

प्रकरण में आगामी सुनवाई तिथि 24.01.2023 को अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान विभाग को जरिये वी.सी. उपस्थित होने के निर्देश हैं। अतः जिला कलक्टर, धौलपुर के पंत्रों की प्रतियां संलग्न कर निवेदन है कि प्रकरण में वांछित कार्यवाही शीघ्र करवाने का श्रम करावे।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

(नीतू बारूपाल)
शासन उप सचिव

प्रमुख शासन सचिव,
वन विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

अ0शा0 टीप संख्या प–11(1)(124)/खान/ग्रुप–2/2022
जयपुर, दिनांकः 17 JAN 2023

Annexure R/8

खान (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : प.14(1)खान/ग्रुप-2/2012 जयपुर, दिनांक 9 FEB 2012

परिपत्र

खनिजों का खनन वैध खनन पट्टा / लाइसेंस / परमिट के अन्तर्गत ही किया जा सकता है । इसके अलावा खनन किया जाना अवैध खनन की परिभाषा में आता है, जिसे रोका जाना एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। वन क्षेत्रों में खनन, भारत सरकार के अनारक्षण स्वीकृति के बगैर किया जाना गैर-वानिकी गतिविधियों में आता है । अवैध खनन की रोकथाम के संबंध में अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता डॉ0 मनीष सिंघवी के पत्र क्रमांक एमएस/002/एस/2012 दिनांक 28.01.2012 के क्रम में विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. वन क्षेत्रों में अवैध खनन रोकने की पूर्ण जिम्मेदारी वन विभाग की होगी एवं इसके लिए संबंधित वन क्षेत्र के प्रभारी एवं उप वन संरक्षक / मण्डल वन अधिकारी पालना किये जाने हेतु जिम्मेदार रहेंगे । न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु संबंधित उप वन संरक्षक / मण्डल वन अधिकारी द्वारा प्रकरण के प्रभारी अधिकारी को शपथ पत्र भिजवाया जाएगा ।
2. गैर-वन क्षेत्रों में अवैध खनन रोकने की जिम्मेदारी खान विभाग की रहेगी एवं इसके लिए खनि अभियंता / सहायक खनि अभियंता पालना किये जाने हेतु जिम्मेदार रहेंगे। न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु संबंधित खनि अभियंता / सहायक खनि अभियंता द्वारा प्रकरण के प्रभारी अधिकारी को शपथ पत्र भिजवाया जाएगा ।
3. खातेदारी भूमि में अवैध खनन किये जाने पर इसकी सूचना संबंधित तहसीलदार को देने हेतु क्षेत्र का हल्का पटवारी जिम्मेदार होगा । पटवारी / खान विभाग द्वारा सूचना दिये जाने पर तहसीलदार द्वारा खातेदार के खातेदारी अधिकार निरस्त किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावें । तहसीलदार द्वारा अवैध खनन हेतु खान विभाग के नियमों में दी गई शक्तियों का उपयोग कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए ।
4. यदि कोई भूमि औद्योगिक / अन्य कार्यों हेतु रीको / यू.आई.टी. / अन्य संस्थाओं को आवंटित कर दी गई हो एवं उसमें अवैध खनन होता हो तो संबंधित संस्था के प्रभारी द्वारा पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराई जानी चाहिए । यदि उक्त संस्थाएं उस कार्य हेतु भूमि आवंटित की गई है, उसे करने में विफल रहती है तथा अवैध खनन होता हो तो ऐसे आवंटन निरस्त किये जाने हेतु जिला कलक्टर / सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जावे ।
5. राज्य सरकार / जिला प्रशासन द्वारा अवैध खनन की रोकथाम हेतु संयुक्त अभियान चलाये जाने पर संयुक्त दल में नामित अधिकारी अवैध खनन रोकथाम हेतु विभागीय नियमों के तहत संयुक्त रूप से कार्यवाही करेंगे

प्रमुख सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, खान मंत्री, राजस्थान, जयपुर
2. विशिष्ट सहायक, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर
6. शासन उप सचिव-I, खान विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
7. निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर
8. डॉ. मनीष सिंघवी, अतिरिक्त महाधिवक्ता, 12, [illegible] नई दिल्ली
9. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर
10. समस्त जिला कलक्टर
11. विधि अधिकारी (तकनीकी) / उप विधि परामर्शी, शासन सचिवालय, जयपुर
12. समस्त अति. निदेशक (खान)/(भू-विज्ञान), अधीक्षण खनि अभियंता, खनि अभियंता, सहायक खनि अभियंता द्वारा निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर
13. रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव

Annexure R/9

कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक, (नरेगा) एवं जिला कलक्टर धौलपुर

क्रमांक मनरेगा 2023/373।

दिनांक 10.01.2023

अधिशाषी अभियन्ता
धौलपुर

विषय – माननीय न्यायालय एन.जी.टी. नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक ओ0ए0248/2022 (हिन्दु समाचार पत्र दिनांक 27.03.2022 में प्रकाशित शीर्षक " Digging up to Chambal" के संबंध में।

प्रसंग – आपके कार्यालय पत्रांक 01 दिनांक 06.01.2023 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में बैठक कार्यवाही विवरण में क्रमांक 4 पर दर्ज सिफारिश Creating alternative livelihood opportunity for locals who are totally dependent on illegal mining के संलिप्त स्थानीय लोगो के लिये वैकल्पिक रोजगार के तहत मनरेगा योजनान्तर्गत कार्य स्वीकृत कर गत वर्षों में ग्रामपंचायत के अंतर्गत ग्रामों में रोजगार दिया गया है।

क.स.	ग्राम पंचायत का नाम: ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत का नाम: ग्राम	स्वीकृत कार्य	सृजित मानव दिवस
1	सगौना	सगौना	46	1006
2	बसईकारे	जैतपुर	124	10499
3	फरासपुरा	अण्डवापुरैनी	190	14667
4	गैसेना	भूराखेड़ा	128	1481
5	बसईनीम	बसईनीम, बीछिया	114	7669
6	मोरोली	मोरोली	99	3819
7	बसईडांग	चंदीलपुर	178	13301
	कस्बानगर	कस्बानगर	125	10475
8	सेवरपाली	सेवरपाली	314	33418
9	झिरी	झिरी, शंकरपुरा	259	20091
			1575	116426

अधिशाषी अभियन्ता ईजीएस
जिला परिषद, धौलपुर

Annexure R/1054

185

DM
CA-2
16/1/23

कार्यालय जिला कलक्टर धौलपुर (राजस्थान)

क्रमांकःएनजीटी / 248 / 2022 / राजस्व / 2022 / 106 दिनांकः– 15/1/2023

प्रमुख शासन सचिव
गृह विभाग
शासन सचिवालय जयपुर

विषयः–माननीय एन0जी0टी0 प्रिंसीपल बैंच नई दिल्ली द्वारा प्रकरण संख्या ओ.ए. 248 / 2022 में दिनांक 21.9.2022 को दिये गये निर्देशो / अभिशंषाओं की कियान्विति के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हिन्दु समाचार पत्र दिनांक 27.3.2022 में प्रकाशित शीर्षक **"Digging up the Chambal"** के आधार पर **माननीय एन0जी0टी0 प्रिन्सीपल बैंच नई दिल्ली** में प्रकरण कमांकःओ.ए. 248 / 2022 दर्ज हुआ है। **माननीय एन0जी0टी0 प्रिन्सीपल बैंच नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 21.9.2022 (आदेश की प्रति संलग्न है) को सुनवाई के दौरान एनसीएस क्षेत्र में अवैध रेत खनन को रोकने / नियन्त्रित करने हेतु** निम्नानुसार निर्देशित किया है:–

"An interstate task force may be constituted with members of stack holder departments for proper co-ordination and joint action."

माननीय एन0जी0टी0 प्रिन्सीपल बैंच नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21.9.2022 को दिये गये निर्देशो की पालना सुनिश्चित कराने हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 11.10.2022 को आयोजित की गई व कतिपय निर्णय लिये गये। गत बैठक में लिये गये निर्णयों की प्रगति की बिन्दुवार समीक्षा हेतु दिनांक 13.1.2023 को अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय खान एवं पेट्रोलियम विभाग जयपुर की विशेष उपस्थिति में सम्बन्धित अधिकारियो के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में लिए गये निर्णयानुसार एनजीटी द्वारा की गई अनुशंषा के अनुसार **अन्तर राज्यीय टास्क फोर्स का गठन स्टेक हॉल्डर विभागों के समन्वय से किये जाने की कार्यवाही राज्य स्तर से की जानी है।** बैठक कार्यवाही विवरण की प्रति संलग्न है।

उक्त समीक्षा बैठक के दौरान अति मुख्य सचिव महोदय खान एवं पेट्रोलियम विभाग जयपुर द्वारा **उक्त प्रकरण में आगामी सुनवाई दिनांक 24.1.2023 को वीडियो कॉन्फ्रेन्सिग के माध्यम से नियत होना बताया गया।**

अतः निवेदन है कि **धौलपुर जिले के एनसीएस क्षेत्र में अवैध रेत खनन को रोकने / नियन्त्रित करने व उचित समन्वय और संयुक्त कार्यवाही के लिए स्टेक होल्डर विभागो के सदस्यों के साथ एक अन्तर राज्यीय टास्क फोर्स का गठन किये जाने की कार्यवाही** कराने का कष्ट करावे ताकि जिले में चम्बल नदी से अवैध रूप से बजरी / रेता खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाया सकें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

जिला कलक्टर
धौलपुर

2521
16/1/23

186

क्रमांकःएनजीटी / 248 / 2022 / राजस्व / 2022 / 107 दिनांकः– 15 / 1 / 2023

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं नियमानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, पुलिस महानिदेशक राज. जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव खान एवं पेट्रोलियम विभाग शासन सचिवालय जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव वन विभाग जयपुर
4. निदेशक खान एवं भू–विज्ञान विभाग राजस्थान उदयपुर
5. अतिरिक्त निदेशक खान एवं भू–विज्ञान विभाग राजस्थान कोटा
6. जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर
7. अधीक्षण खनि अभियन्ता भरतपुर
8. उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी धौलपुर / उप वन संरक्षक (वन्य जीव) सवाई माधोपुर
9. खनि अभियंता धौलपुर
10. जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर
11. संबंधित...

जिला कलक्टर

Annexure R/11

कार्यालय जिला कलक्टर धौलपुर (राजस्थान)

क्रमांक:एनजीटी / 248 / 2022 / राजस्व / 2022 / 101 दिनांकः– 18 / 1 / 2023

जिला परिवहन अधिकारी,
धौलपुर

विषयः—माननीय एन0जी0टी0 प्रिंसीपल बैंच नई दिल्ली द्वारा प्रकरण संख्या ओ.ए. 248 / 2022 में दिनांक 21.9.2022 को दिये गये निर्देशो / अभिशंषाओं की कियान्विति के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि हिन्दु समाचार पत्र दिनांक 27.3.2022 में प्रकाशित शीर्षक **"Digging up the Chambal"** के आधार पर **माननीय एन0जी0टी0 प्रिन्सीपल बैंच नई दिल्ली** में प्रकरण कमांक:ओ.ए. 248 / 2022 दर्ज हुआ है। **माननीय एन0जी0टी0 प्रिन्सीपल बैंच नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 21.9.2022 (आदेश की प्रति संलग्न है) को सुनवाई के दौरान एनसीएस क्षेत्र में अवैध रेत खनन को रोकने / नियन्त्रित करने हेतु निम्नानुसार निर्देशित किया है:—**

" RTO shall be directed to seize transport vehicles used in illegal transportation of river sand from NCS area and to cancel registration of illegal miners vehicle who are without number plates."

माननीय एन0जी0टी0 प्रिन्सीपल बैंच नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21.9.2022 को दिये गये निर्देशो की पालना सुनिश्चित कराने हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 11.10.2022 को आयोजित की गई व कतिपय निर्णय लिये गये। गत बैठक में लिये गये निर्णयों की प्रगति की बिन्दुवार समीक्षा हेतु दिनांक 13.1.2023 को अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय खान एवं पेट्रोलियम विभाग जयपुर की विशेष उपस्थिति में सम्बन्धित अधिकारियो के साथ बैठक आयोजित की गई। **बैठक में जिले में अवैध रेता निर्गमन में लिप्त वाहनों एवं बिना नम्बर प्लेट के वाहनों को जप्त कर / पकड़ने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर को तथा उनके पंजीयन को निरस्त किये जाने की कार्यवाही किये जाने हेतु जिला परिवहन अधिकारी को लिखे जाने का निर्णय लिया गया। बैठक कार्यवाही विवरण की प्रति संलग्न है।**

अतः आप जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर व सम्बन्धित उप वन संरक्षक के साथ समन्वय स्थापित कर **जिले में अवैध रेता निर्गमन में लिप्त वाहनों एवं बिना नम्बर प्लेट के वाहनों को जप्त कर उनके पंजीयन को निरस्त कराने की कार्यवाही** करावे एवं की गई कार्यवाही की रिपोर्ट खनि अभियन्ता धौलपुर व इस कार्यालय में भिजवावे।

संलग्न—उपरोक्तानुसार

जिला कलक्टर

(197)

क्रमांकःएनजीटी/248/2022/राजस्व/2022 /102-110 दिनांकः- 18/1/2023

प्रतिलिपिः-निम्न को सूचनार्थ एवं नियमानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव खान एवं पेट्रोलियम विभाग शासन सचिवालय जयपुर।
2. निदेशक खान एवं भू-विज्ञान विभाग राजस्थान उदयपुर
3. अतिरिक्त निदेशक खान एवं भू-विज्ञान विभाग राजस्थान कोटा
4. जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर को भेजकर अनुरोध है कि **जिले में अवैध रेता निर्गमन में लिप्त वाहनों एवं बिना नम्बर प्लेट के वाहनों को जब्त कर उनके पंजीयन को निरस्त कराने हेतु जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर को सुपुर्द कराने की कार्यवाही कराने का श्रम करावे तथा उसकी नियमित मॉनीटरिंग भी करावे।**
5. अधीक्षण खनि अभियन्ता भरतपुर
6. उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी धौलपुर/उप वन संरक्षक (वन्य जीव) सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि जिले के **एनसीएस क्षेत्र में खनिज बजरी के अवैध निर्गमन में लिप्त वाहनों को जब्त कर उनके पंजीयन को निरस्त करने हेतु जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर को सुपुर्द कराने की कार्यवाही करावे।**
7. खनि अभियंता धौलपुर
8. संबंधित...

जिला कलक्टर

142

कार्यालय जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा अधिकारी, धौलपुर(राजस्थान)

क्रमांक:– 3853

दिनांक – 20/12/2022

श्रीमान खनि अभियन्ता
खनिज विभाग, धौलपुर

विषय :– माननीय न्यायालय एन.जी.टी. नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 248/2022 (हिन्दू समाचार पत्र दिनांक 27.03.2022 मे प्रकाशित शीर्षक Digging up the Chanbal) के संबंध में

प्रसंग :– आपका पत्रांक खअ/धौल/माचि/बजरी/2022/301 दिनांक 20.12.2022

महोदय,

उपरोक्त विषय मे निवेदन है कि आपके पत्रांक एनजीटी/248/2022/खनि/2022/233 दिनांक 19.10.2022 की अनुपालना मे बैठक कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 10 की पालना हेतु कार्यालय के पत्रांक 3110 दिनांक 20.10.2022 के द्वारा कार्यालय के परिवहन निरीक्षक/उपनिरीक्षको को निर्देशित किया गया था, जिसके अन्तर्गत विभाग द्वारा जिले मे संचालित बिना नम्बर प्लेट वाले वाहनो के विरूद्ध समझाईश अभियान चलाया जा रहा है जिसमे वाहन चालको को नम्बर प्लेट लगाकर/ नम्बर प्लेट पर पंजीयन क्रमांक अंकित करवा कर ही वाहन चलाने के लिये पाबन्द किया जा रहा है। यदि इसके बावजूद कोई भी वाहन चालक बिना नम्बर प्लेट/बिना नम्बर के वाहन संचालित होता पाया जाता है कि उसके विरूद्ध प्रवर्तन कार्यवाही की जा रही है। जिसमे अब तक 36 वाहनो के विरूद्ध बिना नम्बर प्लेट/बिना नम्बर के अपराध मे चालान बनाये गये है तथा 9 चालान ओवरलोड के बनाये गये है।

सूचना सादर प्रेषित है।

जिला परिवहन अधिकारी
धौलपुर

क्रमांक :– 3854

दिनांक :– 20/12/2022

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, धौलपुर

जिला परिवहन अधिकारी
धौलपुर

DM 20-12-22

2322
20/12/22

Annexure R/13

कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

क्रमांकः– न्याय/2023/260 दिनांकः– 13-01-2023

विक्रय अधिकारी,

आई.ओ.सी.एल./एच.पी.सी.एल./रिलायन्स/बी.पी.सी.एल.

जिला धौलपुर

विषयः– माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली के आदेश दिनांक 21.09.2022 की पालना करने बावत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली, प्रमुख बैन्च नई दिल्ली द्वारा ऑरिजनल एप्लीकेशन नं. 248/2022 दिनांक 21.09.22 को सुनवाई के दौरान चम्बल नदी से अवैध रूप से रेता/बजरी खनन में प्रयुक्त वाहनों को डीजल/पैट्रोल नहीं दिए जाने के निर्देश दिये गये हैं। (एनजीटी के उक्त आदेश की प्रति संलग्न है)

अतः उक्त निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु जिले में चम्बल नदी से अवैध रूप से रेता/बजरी खनन निकटवर्ती पैट्रोल पम्पों (संलग्न सूची अनुसार) पर निम्नलिखित बिन्दुओं की सख्ती से पालना सुनिश्चित करावें तथा संबंधित पैट्रोल पम्प संचालकों को अपने स्तर से निर्देश जारी करें:–

1. चम्बल नदी से अवैध रूप से रेता/बजरी खनन में प्रयुक्त वाहनों को डीजल/पैट्रोल दिए जाने से पूर्व उस वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर, वाहन चालक का नाम, पता व लाईसेंस नम्बर आदि का विवरण रजिस्टर संधारित कर अंकित किया जावे।
2. ऑयल मार्केटिंग कम्पनी द्वारा निर्धारित मापदण्ड, सुसंगत अधिनियम के प्रावधान, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक डीजल/पैट्रोल कंटेनर में नहीं दिया जावे तथा कंटेनर में दिए जाने वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन नम्बर, नाम व पता आदि का विवरण रजिस्टर संधारित कर अंकित किया जावे।
3. पैट्रोल पम्पों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाये जाना सुनिश्चित करें तथा सीसीटीवी कैमरे खराब होने की स्थिति में उन्हें तुरन्त सही कराया जावे।
4. संदिग्ध/अवैध खनन में लिप्त वाहनों/वाहन चालको की सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थाने/जिला पुलिस अधीक्षक को दी जावे।
5. रेता/बजरी के ऐसे वाहन जिन पर रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित नहीं है, उनको किसी भी परिस्थिति में डीजल/पैट्रोल का प्रदाय नहीं किया जाएगा।
6. पैट्रोल पम्प संचालक संबंधित उपखण्डाधिकारी/जिला रसद अधिकारी/थानाधिकारी को निरीक्षण के समय पूर्ण सहयोग व आवश्यक रिकार्ड उपलब्ध करावें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

क्रमांकः– न्याय/2023/262-272 दिनांकः– 13-01-2023

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, खनिज एवं पैट्रोलियम विभाग जयपुर
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग जयपुर
3. शासन सचिव महोदय, गृह विभाग जयपुर
4. जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर को भेजकर लेख है कि संबंधित पुलिस अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का श्रम करें।

5. उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी धौलपुर/वन्यजीव/चम्बल सैन्चुरी सवाई माधोपुर
6. समस्त उपखण्ड अधिकारी जिला धौलपुर
7. खनि अभियन्ता धौलपुर
8. जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर
9. राज्य स्तरीय समन्वयक ऑयल कम्पनीज राजस्थान जयपुर
10. जिला रसद अधिकारी धौलपुर को भेजकर लेख है कि संबंधितों को अपने स्तर से पाबन्द कर पालना सुनिश्चित करावें।
11. संबंधित पैट्रोल पम्प संचालक (संलग्न सूची अनुसार) तामील जरिये जिला रसद अधिकारी धौलपुर।
12. रक्षित पत्रावली

जिला मजिस्ट्रेट
जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

चम्बल ऐता/बजरी खनन से सम्बन्धित वाहनों को डीजल/पैट्रोल उपलब्ध कराने वाले पैट्रोल पम्पों की सूची

1	GARG FILLING STATION	I.O.C.L.	BARI	9897933200
2	PREM FILLING STATION	H.P.C.L.	BARI	9314159827
3	JAIPUR DHOLPUR HIGHWAY SERVICE	RELIANCE	BARI	9414028044, 7014600000
4	RISHABH SERVICE STATION	H.P.C.L.	DHOLPUR	9413310916
5	KHATUSHYAMJI FILLING STATION	I.O.C.L.	DHOLPUR	9024173364
6	GURU FILLING STATION	I.O.C.L.	DHOLPUR	9414027239
7	MAHALAXMI PETROLIUM/RELIANCE INDISTRIES	RELIANCE	DHOLPUR	8209516456
8	SHREE RAM KISAN SEWA KENDRA	I.O.C.L.	RAJAKHERA	9983738919
9	DIHOLI FILLING STATION	I.O.C.L.	RAJAKHERA	9414026622
10	SHAMSHER SINGH FILLING STATION	I.O.C.L.	RAJAKHERA	9887325443

Devansh Jindal sales officer HPCl	9717788016

Ankit Jindal sales officer BPCL	9068810678

Jogendra Sales officer IOCl	8082514864

keshav Mehata Sales officer Reliance	9828100636

18/11/23

जिला रसद अधिकारी
धौलपुर (राज.)

Annexure R/14

D.M. 5502 20-1-23

कार्यालय जिला कलक्टर धौलपुर (राजस्थान)

क्रमांकःएनजीटी/248/2022/राजस्व/2022 /171 दिनांकः– 20/1/2023

1. जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर
2. उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी धौलपुर
3. उप वन संरक्षक (वन्य जीव) सवाई माधोपुर

विषयः—माननीय एन0जी0टी0 प्रिंसीपल बैंच नई दिल्ली द्वारा प्रकरण संख्या ओ.ए. 248/2022 में दिनांक 21.9.2022 को दिये गये निर्देशो/अभिशंषाओं की कियान्विति के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि हिन्दु समाचार पत्र दिनांक 27.3.2022 में प्रकाशित शीर्षक **"Digging up the Chambal"** के आधार पर **माननीय एन0जी0टी0 प्रिन्सीपल बैंच नई दिल्ली में** प्रकरण कमांकःओ.ए. 248/2022 दर्ज हुआ है। **माननीय एन0जी0टी0 प्रिन्सीपल बैंच नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 21.9.2022 (आदेश की प्रति संलग्न है) को सुनवाई के दौरान एनसीएस क्षेत्र में अवैध रेत खनन को रोकने/नियन्त्रित करने हेतु निम्नानुसार निर्देशित किया हैः–**

1. "Illegal properties of illegal miners to be seized."
2. " Revenue department to register case against those whose land is used for illegal sand dumping."

माननीय एन0जी0टी0 प्रिन्सीपल बैंच नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21.9.2022 को दिये गये निर्देशो की पालना सुनिश्चित कराने हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 11.10.2022 को आयोजित की गई व कतिपय निर्णय लिये गये। गत बैठक में लिये गये निर्णयों की प्रगति की बिन्दुवार समीक्षा हेतु दिनांक 13.1.2023 को अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय खान एवं पेट्रोलियम विभाग जयपुर की विशेष उपस्थिति में सम्बन्धित अधिकारियो के साथ बैठक आयोजित की गई। **बैठक में जिले अवैध रेता खनन में संलिप्त व्यक्तियों को चिन्हित कर सूची राजस्व विभाग को उपलब्ध कराने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर, उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी धौलपुर, उप वन संरक्षक वन्यजीव सवाईमाधोपुर को लिखे जाने तथा अवैध रेता भण्डारण किये जाने हेतु उपयोग में ली जाने वाली भूमि के मालिक के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित उपखण्डाधिकारी/तहसीलदार को तथा उक्त भूमियों व भूमि मालिको की सूची तैयार कर राजस्व विभाग के सम्बन्धित उपखण्डाधिकारी/तहसीलदार को उपलब्ध कराने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर, उप वन संरक्षक वन्यजीव सवाईमाधोपुर को लिखे जाने का निर्णय लिया गया। बैठक कार्यवाही विवरण की प्रति संलग्न है।**

अतः आप जिले के एनसीएस क्षेत्र में **अवैध रेत खनन को रोकने**/नियन्त्रित करने व मा0 एनजीटी के उक्त निर्देशो **की कियान्विति हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में अविलम्व कार्यवाही** कराया जाना सुनिश्चित करावे तथा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट खानि अभियन्ता धौलपुर व इस कार्यालय में **भिजवाने** का श्रम करावेः–

1. जिले अवैध रेता खनन में संलिप्त व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशानुसार व नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करावे।
2. जिले में अवैध रेता भण्डारण किये जाने हेतु उपयोग में ली जाने वाली भूमि के मालिक के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर उक्त भूमियों व भूमि मालिको की सूची तैयार कराकर कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित उपखण्डाधिकारी/तहसीलदार को भिजवावे।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

जिला कलक्टर

63

क्रमांकःएनजीटी/248/2022/राजस्व/2022 /172 दिनांकः– 20/1/2023

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं नियमानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव खान एवं पेट्रोलियम विभाग शासन सचिवालय जयपुर।
2. निदेशक खान एवं भू–विज्ञान विभाग राजस्थान उदयपुर
3. अतिरिक्त निदेशक खान एवं भू–विज्ञान विभाग राजस्थान कोटा
4. अधीक्षण खनि अभियन्ता भरतपुर
5. समस्त उपखण्डाधिकारी/तहसीलदार ....जिला धौलपुर को भेजकर लेख है कि आप पुलिस विभाग व वन विभाग से उक्तानुसार सूची प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करावे।
6. खनि अभियंता धौलपुर
7. संबंधित...

जिला कलक्टर

Annexure R/15

राजस्थान सरकार

कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, भरतपुर-वृत्त, भरतपुर (राज0)

क्रमांकः- अखअ/भरत/स्था./आदेश/2023/SP-1 दिनांक :- 13.01.2023

-: कार्यालय आदेश :-

OA संख्या 248/2022 सूमो मोटो बनाम राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली प्रकरण में आदिनांक 13.01.2023 को धौलपुर में श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम के सानिध्य में रिव्यू बैठक आयोजित की गई, जिसमें निर्देशित किया गया हैं कि दिनांक 16.01.23 से दिनांक 23.01.23 तक जिला धौलपुर में चम्बल नदी में हो रहे खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरूद्व प्रभावी रोकथाम हेतु अभियान चलाया जावें। उक्त निर्देशों की अनुपालना में निम्नांकित कार्मिकों को दिनांक 16.01.23 से दिनांक 23.01.23 तक धौलपुर में चम्बल नदी में हो रहे खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरूद्व प्रभावी रोकथाम एवं संघन चैकिंग हेतु लगाया जाता हैं :-

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	कार्मिक का नाम	पद
1.	खनि अभियन्ता, भरतपुर	श्री भीम सिंह	खनि कार्यदेशक
		श्री वीरेन्द्र कुमार	खनि कार्यदेशक
		श्री विजय मीना	वाहन चालक मय वाहन
2.	सहायक खनि अभियन्ता, रूपवास	श्री प्रदीप वर्मा	खनि कार्यदेशक

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

(अविनाश कुलदीप)
अधीक्षण खनि अभियन्ता
भरतपुर-वृत, भरतपुर
कैम्प-धौलपुर

क्रमांकः- समसंख्यक/2023/ SP- 2-10 दिनांक :- 13.01.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. श्रीमान् निदेशक, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान-उदयपुर।
2. श्रीमान् अतिरिक्त निदेशक (खान), कोटा-जोन, कोटा।
3. खनि अभियन्ता, भरतपुर को देकर लेख हैं कि आप उक्त अभियान का पर्यवेक्षण करते हुये आपके कार्यालय कार्मिको को कार्यमुक्त कर अपनी उपस्थिति खनि अभियन्ता, धौलपुर कार्यालय में देने हेतु पाबन्द करें।
4. खनि अभियन्ता, धौलपुर को देकर लेख हैं कि आप उक्त अभियान में आपके कार्यालय के तकनीकी कार्मिक मय वाहन व वाहन चालक को लगाते हुये उक्त दल का अभियान के दौरान पूर्ण सहयोग प्रदान करे।
5. सहायक खनि अभियन्ता, रूपवास को देकर लेख हैं कि आपके कार्यालय कार्मिक को कार्यमुक्त कर अपनी उपस्थिति खनि अभियन्ता, धौलपुर कार्यालय में देने हेतु पाबन्द करें।
6. सम्बन्धित कार्मिक श्री भीम सिंह/श्री वीरेन्द्र कुमार/श्री प्रदीप वर्मा/श्री विजय मीना को पालनार्थ।

2520
16/1/23

अधीक्षण खनि अभियन्ता
भरतपुर, वृत्त-भरतपुर
कैम्प-धौलपुर

राजस्थान सरकार
वन विभाग

कार्यालय उप वन संरक्षक धौलपुर

(Near Chopra Shiv Mandir, NH-3, Ph. & Fax-05642-220769 (Off.), 220807 (Res.), email-dcf.dhol.forest@rajasthan.gov.in)

क्रमांकः एफ ( )विविध/उवसं/2022/ दिनांक

कार्यालय आदेश

दिनांक 13.01.2023 को जिला कलक्टर धौलपुर की अध्यक्षता में अवैध खनन के विरुद्ध बैठक आयोजित की गई हैं। उक्त बैठक में जिला कलक्टर धौलपुर के निर्देशानुसार जिले दिनांक 16.01.2023 से 23.01.2023 तक अवैध खनन के विरुद्ध संयुक्त' कार्यवाही करने हेतु अभियान चलाया जावेगा। जिसमें इस वनमंडल के निम्न कर्मचारीयों को लगाया जाता है :-

क्र0 सं0	नाम कर्मचारी	पद	मोबाइल नं0
1	श्री प्रमेंन्द्र सिंह	प्रभारी सहायक वन संरक्षक धौलपुर	6377563562
2	श्री नीलेन्द्र सिह	प्रभारी क्षेत्रीय वन अधिकारी धौलपुर	8279222822
3	श्री अरूण सिंह	सहायक वनपाल	8078622771
4	श्री गोपाल सिंह	सहायक वनपाल	9509989811
5	श्री रामबृज सिंह	वनरक्षक	8619672349
6	श्री अजय दुबे	वनरक्षक	7414818213
7	श्री अमरलाल मीणा	प्रभारी क्षेत्रीय वन अधिकारी बाड़ी	8690375289
8	श्री राजवीर सिंह	वनरक्षक	9587924308
9	श्री रामखिलाड़ी	वनरक्षक	7742414830
10	श्री पवन	वनरक्षक	7023391837
11	श्री हंसराज	वनरक्षक	8239222828
12	श्री अमरलाल मीणा	प्रभारी क्षेत्रीय वन अधिकारी सरमथुरा	8690375289
13	श्री बनैसिंह मीणा	सहायक वनपाल	9378175902
14	श्री संजय सिह	वनरक्षक	9057555805
15	श्री अरविंद परमार	सहायक वनपाल	9785310132
16	श्री जीतेन्द्र मीणा	वनरक्षक	
17	श्री शिवकुमार	वनरक्षक	9950264361
18	श्री नबाबसिंह	वनरक्षक	7849876430

नोट :- गश्त/वन अपराध की रोकथाम हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता के निर्देशानुसार जिले में अवैध खनन प्रभावित क्षेत्र में संयुक्त कार्यवाही करने हेतु राजकीय वाहन केम्पर आर जे 11 जी वी 0352 पर वाहन चालक श्री महावीर शर्मा व वाहन संख्या आर जे 11 यू ए 1062 पर राधाकृष्ण शर्मा वाहन का संचालन करेंगे।

(किशोर गुप्ता)
उप वन संरक्षक
धौलपुर

क्रमांकः एफ ( )विविध/उवसं/2022/312-21 दिनांक 13/1/23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य वन संरक्षक भरतपुर।
2. जिला कलक्टर धौलपुर।
3. जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर।
4. खनि0 अभियंता धौलपुर।
5. जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर।
6. सहायक वन संरक्षक धौलपुर/बाड़ी।
7. क्षेत्रीय वन अधिकारी धौलपुर/वनविहार/बाड़ी/राजाखेड़/सरमथुरा।
8. सर्व श्री........................
9. रक्षा पत्रावली।

उप वन संरक्षक
धौलपुर

2523
16/1/23

F:\hariom\GENERAL4.doc

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू–विज्ञान विभाग, धौलपुर

खनिज भवन, निकट हाउसिंग बोर्ड पुलिस चोकी, छावनी रोड धौलपुर

ई–मेल :–me.dholpur@rajasthan.gov.in फोन नं. 05642– 220762

क्रमांक :– खअ/धौल/माचि/बजरी/2023/86 दिनांक : 17/01/23

कार्यालय आदेश

OA संख्या 248/2022 सूमो मोटो बनाम राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दिनांक 13.01.2023 को श्रीमान् जिला कलक्टर धौलपुर के कक्ष में श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव खान एवं पेट्रोलियम जयपुर की विशेष उपस्थिति में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में चम्बल नदी में हो रहे खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरूद्व प्रभावी रोकथाम हेतु दिनांक 16.01.2023 से दिनांक 23.01.2023 तक सम्बंधित विभागों के अधिकारी/कार्मिक संयुक्त रूप से विशेष अभियान चलाने एवं सागरपाडा चैक पोष्ट पर सभी सम्बंधित विभाग 247 स्टाफ/कार्मिकों की ड्यूटी लगाकर तैनात करने के लिए निर्देश दिये गये।

उक्त निर्देशों की अनुपालना में सागरपाडा चैक पोष्ट पर चैकिग कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निम्नानुसार ड्यूटी लगाई जाती है:–

क.सं.	नाम कर्मचारी व पद	ड्यूटी समय	मोवाईल नं.
1	श्री भीम सिंह खनि कार्यदेशक	8 A.M. TO 8 P.M.	9660242374
2	श्री प्रदीप वर्मा खनि कार्यदेशक	8 P.M. TO 8 A.M.	9414895374

श्री अन्शुमन मीणा (मोवाईल नं. 9462344777) खनि कार्यदेशक एवं श्री वीरेन्द्र सिंह (मोवाईल नं. 9415929332) खनि कार्यदेशक को निर्देश दिये जाते है कि चम्बल नदी में चिन्हित 12 संभावित अवैध खनन स्थलों (सूची संलग्न है) सहित चम्बल नदी में हो रहे खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण की संघन चैकिंग कर आवश्यक कार्यवाही करगें एवं प्रतिदिन की रिपोर्ट कार्यालय में पेश करगे

(मुकेश चन्द्र मंगल)
खनि अभियन्ता, धौलपुर

क्रमांक :– खअ/धौल/माचि/बजरी/2023/87-97 दिनांक : 17/01/23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. श्रीमान् जिला कलक्टर धौलपुर।
2. श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर
3. श्रीमान् अतिरिक्त निदेशक(खान), कोटा जोन, कोटा
4. श्रीमान् अधीक्षण खनि अभियन्ता, भरतपुर वृत, भरतपुर।
5. उप वन संरक्षंक, धौलपुर।
6. उप वन संरक्षक(वन्यजीव), राष्ट्रीय चम्बल घडियाल अभयरण्य, सवाईमाधोपुर।
7. जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर।
8. श्री भीम सिंह/श्री प्रदीप वर्मा/श्री अन्शुमान मीणा/श्री वीरेन्द्र सिंह खनि कार्यदेशक को पालनार्थ।

खनि अभियन्ता, धौलपुर